अध्याय VI

गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं

गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र में समेकन की प्रक्रिया दिख रही है, छोटी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (जमा लेने वाली) या तो विलयन का अथवा बंदी का और कुछ बड़ी कंपनियां जमाराशियां न लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में रूपांतरण का विकल्प अपना रही हैं। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अधिक पूंजी के कारण सुविधाजनक स्थिति में हैं। जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वित्तीय कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ है जो उनके परिचालन लाभों की वृद्धि में परिलक्षित होता है, यह लाभ मुख्य रूप से निधि आधारित आय में वृद्धि के कारण हुआ है। जमाराशियां न लेने वाले प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी खंड में अपनी संसाधन आवश्यकताओं के लिए बैंक वित्त पर बहुत अधिक निर्भरता जारी रही। इन कंपनियों की आस्तियों की गुणवत्ता में गिरावट के चिह्न दिख रहे हैं। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र के लिए बनाई गयी विनियमावाली मध्यावधि में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को और आघात सहनीय बनाएगी। वित्तीय संस्थाओं के संयुक्त तुलन-पत्र में विस्तार हुआ है और परिचालन लाभ तथा निवल लाभ में काफी अधिक बढ़ोतरी हुई है। वित्तीय संस्थाओं की अवरुद्ध आस्तियों में भी वृद्धि हुई है और यह एक चिंता का विषय है। प्राथमिक व्यापारियों के खर्चों में वृद्धि आय में हुई वृद्धि से अधिक होने के कारण लाभ में कमी आई।सीआरएआर अधिक होने के कारण प्राथमिक व्यापारियों की स्थिति अच्छी रही।

1. भूमिका

6.1 गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं भारतीय वित्तीय प्रणाली का एक महत्त्वपूर्ण भाग हैं। वर्तमान में गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं में विजातीय समूह की संस्थाएं शामिल हैं जो कई सारी वित्तीय अपेक्षाओं को पूरा करती हैं। प्रमुख मध्यस्थों में वित्तीय संस्थाएं, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और प्राथमिक व्यापारी शामिल हैं।

6.2 इस अध्याय में 2011-12 के दौरान गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रत्येक खंड के वित्तीय कार्य-निष्पादन और सुदृढ़ता संकेतकों का विश्लेषण किया गया है। यह अध्याय पांच भागों में विभाजित है। भाग 2 में वित्तीय संस्थाओं के वित्तीय कार्य-निष्पादन का विश्लेषण किया गया है जबकि भाग 3 में अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों सहित जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण गैर-वित्तीय कंपनियों के कार्य-निष्पादन की चर्चा की गयी है। भाग 4 में प्राथमिक और द्वितीयक बाजार में प्राथमिक व्यापारियों के कार्य-निष्पादन का विश्लेषण किया गया है, इसके पश्चात भाग 5 में समग्र मूल्यांकन किया गया है।

2. वित्तीय संस्थाएं

6.3 मार्च 2012 के अंत में, रिज़र्व बैंक के संपूर्ण विनियमन और पर्यवेक्षण के अंतर्गत पांच वित्तीय संस्थाएं थीं अर्थात, भारतीय निर्यात आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक), भारतीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक (आईआईबीआई) (सारणी VI.1)। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक स्वेच्छा से परिसमापन की प्रकिया में है।

सारणी VI.1: वित्तीय संस्थाओं के स्वामित्व का स्वरूप

(31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार)

संस्था	स्वामित्व	प्रतिशत
1	2	3
एक्ज़िम बैंक	भारत सरकार	100
नाबार्ड	भारत सरकार	99.3
	भारतीय रिज़र्व बैंक	0.7
एनएचबी	भारतीय रिज़र्व बैंक	100
सिडबी*	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	62.5
	बीमा कंपनियां	21.9
	वित्तीय संस्थाएं	5.3
	अन्य	10.3

* आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (19.2 प्रतिशत), भारतीय स्टेट बैंक (15.5 प्रतिशत) और भारतीय जीवन बीमा निगम (14.4 प्रतिशत) सिडबी के तीन बड़े शेयरधारक हैं।

वित्तीय संस्थाओं का परिचालन

वित्तीय संस्थाओं के संयुक्त तुलन-पत्र में विस्तार हुआ है

6.4 वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता में 2011-12 के दौरान वृद्धि हुई ,ऐसा मुख्य रूप से निवेश संस्थाओं (जीवन बीमा निगम और सामान्य बीमा निगम) तथा विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं (आईवीसीएफ और टीएफसीआई) द्वारा की गयी स्वीकृतियों और संवितरणों में वृद्धि के कारण हुआ। लेकिन,2010-11 में आईएफसीआई द्वारा की गयी स्वीकृतियों और संवितरणों में गिरावट आई (सारणी VI.2 और अनुबंध सारणी VI.1)।

वित्तीय संस्थाओं की आस्तियां और देयताएं

6.5 2011-12 के दौरान वित्तीय संस्थाओं के संयुक्त तुलन-पत्र में विस्तार हुआ। देयता पक्ष में, 2011-12 के दौरान जमाराशियां और 'बांड तथा डिबेंचर' उधारों के प्रमुख स्रोत बने रहे। आस्ति पक्ष में, 'कर्ज और अग्रिम' एकमात्र सबसे बड़ा घटक बना हुआ है जिसने वित्तीय संस्थाओं की कुल आस्तियों में 4/5 से अधिक हिस्से का योगदान किया (सारणी VI.3)।

सारणी VI.2: वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता

(राशि ₹ बिलियन में)

श्रेणी	राशि				प्रतिशत घटबढ	
	2010-11		2011-12		2011-12	
	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.
1	2	3	4	5	6	7
(i) अखिल भारतीय सावधि ऋणदाता संस्थाएं*	545	472	478	478	-12.2	1.2
(ii) विशेषीकृत वित्तीय संस्थाएं#	9	5	11	8	21.3	66.8
(iii)निवेश संस्थाएं@	450	401	544	520	20.8	29.5
एफआई द्वारा कुल सहायता (i+ii+iii)	**1,004**	**878**	**1,033**	**1,006**	**2.9**	**14.5**

स्वी: स्वीकृत संवि.:संवितरित.
* :आईएफसीआई, सिडबी और आईआईबीआई के संबंध में।
# :आईवीसीएफ, आईसीआईसीआई वेंचर और टीएफसीआई से संबंधित ।
@ :एलआईसी और जीआईसी तथा भूतपूर्व सब्सिडियरियों (एनआईए, यूआईआईसी और ओआईसी) से संबंधित।
टिप्पणी: 1. पूर्णांकन के कारण हो सकता है कि घटकों का जोड़ कुल से मेल न खाए।
2. 2011-12 के आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

सारणी VI.3: वित्तीय संस्थाओं की देयताएं और आस्तियां
(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ मिलियन में)

मद	2011	2012 अ.	प्रतिशत घटबढ़
देयताएं			
1. पूंजी	49,000 (1.7)	62,000 (1.8)	26.5
2. रिज़र्व	4,26,071 (14.7)	4,65,001 (13.8)	9.1
3. बांड और डिबेंचर	9,00,968 (31.0)	10,72,973 (31.9)	19.1
4. जमाराशियां	9,27,817 (31.9)	10,90,780 (32.4)	17.6
5. उधार राशियां	4,26,807 (14.7)	4,95,207 (14.7)	16.0
6. अन्य देयताएं	1,75,493 (6.0)	1,77,294 (5.3)	1.0
कुल देयताएं/आस्तियां	**29,06,156**	**33,63,255**	**15.7**
आस्तियां			
1. नकद और बैंक शेष	65,219 (2.2)	67,398 (1.9)	3.3
2. निवेश	1,18,023 (4.1)	1,25,559 (3.7)	6.4
3. कर्ज और अग्रिम	25,61,759 (88.2)	29,82,001 (88.7)	16.4
4. भुनाए/ पुनःभुनाए गए बिल	35,422 (1.2)	29,636 (0.9)	-16.3
5. अचल आस्तियां	5,374 (0.2)	5,364 (0.2)	-0.2
6. अन्य आस्तियां	1,86,822 (6.4)	1,53,297 (4.6)	-17.9

अ.: अनंतिम
टिप्पणियां: 1.आंकड़े 4 वित्तीय संस्थाओं यथा - एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी के हैं।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों के प्रतिशत हैं।
स्रोत : एक्जिम बैंक, नाबार्ड और सिडबी की 31 मार्च को समाप्त तथा एनएचबी की 30 जून की लेखा परीक्षित ऑस्मॉस विवरणियां।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाये गये संसाधन

वाणिज्यिक पत्र निधियों के प्रमुख स्रोत रहे हैं

6.6 2011-12 के दौरान वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाये गये संसाधन पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक थे। राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जुटाए गए संसाधनों की राशि सबसे अधिक थी, इसके पश्चात नाबार्ड, सिडबी और एक्जिम बैंक का क्रम था (सारणी VI.4)।

6.7 2011-12 के दौरान वित्तीय संस्थाओं द्वारा वाणिज्यिक पत्रों के माध्यम से जुटाये गये संसाधनों में काफी अधिक बढ़ोतरी हुई, ये वाणिज्यक पत्र मुद्रा बाजार से जुटाये गये कुल संसाधनों के 70 प्रतिशत से अधिक थे (सारणी VI.5)।

सारणी VI.4: वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए संसाधन

(राशि ₹बिलियन में)

संस्थाएं	जुटाए गए कुल संसाधन								कुल शेष राशि (मार्च के अंत में)	
	दीर्घावधि		अल्पावधि		विदेशी मुद्रा		कुल			
	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
एक्ज़िम बैंक	111	88	15	55	111	84	237	227	472	547
नाबार्ड	97	179	185	90	-	-	283	269	339	423
एनएचबी	75	555	295	827	-	-	370	1,382	109	607
सिडबी	100	139	23	80	12	20	135	239	341	440
कुल	**384**	**961**	**518**	**1,052**	**123**	**104**	**1,025**	**2,117**	**1,261**	**2,016**

-: शून्य/ नगण्य।
टिप्पणियां: दीर्घावधि रुपया संसाधनों में बांड/डिबेंचर से जुटाई गई उधार राशियां सम्मिलित हैं; अल्पावधि संसाधनों में सीपी, सावधि जमाराशियां, आईसीडी, सीडी और सावधि मुद्रा बाजार से प्राप्त उधार राशियां सम्मिलित हैं। विदेशी मुद्रा संसाधनों में मुख्यतः अंतरराष्ट्रीय बाजार के बांड और उधार राशियां सम्मिलित हैं।
स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

निधियों के स्रोत और उपयोग

6.8 जुटाई गयी अधिकांश निधियों का उपयोग नये नियोजनों के लिए किया गया, इसके पश्चात पुराने उधारों की चुकौती के लिए (सारणी VI.6)।

परिपक्वता और उधार लेने और उधार देने की लागत

6.9 रुपये में जुटाये गये संसाधनों की भारित औसत लागत में सभी स्तरों पर वृद्धि हुई। सिडबी और नाबार्ड द्वारा जुटाये गये रुपया संसाधनों की भारित औसत परिपक्वता में वृद्धि हुई जबकि 2011-12 के दौरान एक्ज़िम बैंक और राष्ट्रीय आवास बैंक के मामले में उनमें गिरावट आई (सारणी VI.7)। वर्ष के दौरान एक्ज़िम बैंक और सिडबी ने अपनी मूल उधार दर को बढ़ाया, लेकिन राष्ट्रीय आवास बैंक ने इसे अपरिवर्तित रखा (सारणी VI.8)।

सारणी VI.5: वित्तीय संस्थाओं द्वारा मुद्रा बाजार से जुटाए गए संसाधन
(मार्च 2012 के अंत में)

(राशि ₹मिलियन में)

लिखत	एक्ज़िम	नाबार्ड	एनएचबी	सिडबी	कुल
1	2	3	4	5	6
क. कुल	**49,355**	**90,347**	**28,953**	**50,915**	**2,19,570**
i) सावधि जमाराशियां	8,193	70	2,184	8,419	18,866
ii) सावधि मुद्रा	-	4,381	-	-	4,381
iii) अंतर-कारपोरेट जमाराशियां	-	-	-	-	-
iv) जमा प्रमाणपत्र	536	12,810	-	-	13,346
v) वाणिज्यिक पत्र	40,626	73,086	4,889	42,496	1,61,097
vi) बैंकों से अल्पावधि कर्ज	-	-	21,880	-	21,880
ज्ञापन:					
ख. अंब्रेला सीमा	**75,458**	**2,07,941**	**41,550**	**89,673**	**4,14,622**
ग. अंब्रेला सीमा का उपयोग (ख के प्रतिशत के रूप में क)	65.4	43.5	69.7	56.8	53.0

-: शून्य/ नगण्य।
स्रोत: वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए संसाधनों की पाक्षिक विवरणी।

सारणी VI.6: वित्तीय संस्थाओं की निधियों के स्रोतों और नियोजन का स्वरूप

(राशि ₹बिलियन में)

मद	मार्च 2011के अंत में	मार्च 2012के अंत में	प्रतिशत घटबढ़
1	2	3	4
क. निधियों का स्रोत (i+ii+iii)	**2,978 (100.0)**	**4,252 (100.0)**	**42.8**
i. आंतरिक	1,632 (54.8)	2,623 (61.7)	60.7
ii. बाह्य	1,191 (40.0)	1,495 (35.2)	25.6
iii. अन्य@	155 (5.2)	134 (3.2)	-13.7
ख. निधियों का नियोजन (i+ii+iii)	**2,978 (100.0)**	**4,252 (100.0)**	**42.8**
i. नए नियोजन	1,747 (58.7)	2,739 (64.4)	56.8
ii. पहले लिए गए उधार की चुकौती	840 (28.2)	1,290 (30.4)	53.7
iii. अन्य नियोजन	391 (13.1)	222 (5.2)	-43.2
जिनमें से: ब्याज का भुगतान	142 (4.8)	145 (3.4)	1.9

@ बैंकों के पास रखी नकदी और शेष राशियां, रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों के पास रखी शेष राशियां सम्मिलित हैं।
टिप्पणी: 1. एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी ।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत हैं।
स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

सारणी VI.7: चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए रुपया संसाधनों की भारित औसत लागत और परिपक्वता

संस्थाएं	भारित औसत लागत (प्रतिशत)		भारित औसत परिपक्वता (वर्ष)	
	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12अ.
1	2	3	4	5
एक्ज़िम बैंक	8.4	9.0	2.9	2.8
सिडबी	7.0	7.2	2.5	3.7
नाबार्ड	7.1	9.5	1.1	1.9
एनएचबी	7.2	8.8	2.5	0.9

अ.: अनंतिम
स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

वित्तीय संस्थाओं का कार्य-निष्पादन

मजदूरी बिल में कमी होने से वित्तीय संस्थाओं के लाभ में काफी अधिक वृद्धि हुई

6.10 2011-12 के दौरान वित्तीय संस्थाओं के परिचालन लाभ और निवल लाभ दोनों में काफी अधिक वृद्धि हुई (सारणी VI.9)। सिडबी का आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) सबसे अधिक रहा, इसके पश्चात राष्ट्रीय आवास बैंक, एक्ज़िम बैंक और नाबार्ड का क्रम था (सारणी VI.10)।

सारणी VI.8: चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं की दीर्घावधि पीएलआर संरचना

(प्रतिशत)

प्रभावी	एक्ज़िम बैंक	सिडबी	एनएचबी
1	2	3	4
मार्च 2011	14.0	11.0	10.5
मार्च 2012	15.0	12.75	10.5

स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

सारणी VI.9: चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि ₹ मिलियन में)

	2010-11	2011-12	घटबढ़	
			राशि	प्रतिशत
क. आय (अ+आ)	**1,85,018**	**2,26,647**	**41,629**	**22.5**
अ) ब्याज आय	1,80,167 (97.4)	2,16,887 (95.7)	36,720	20.4
आ) ब्याजेतर आय	4,851 (2.6)	9,760 (4.3)	4,909	101.2
ख. व्यय (अ+आ)	**1,37,422**	**1,62,908**	**25,486**	**18.5**
अ) ब्याज व्यय	1,22,589 (89.2)	1,48,852 (91.4)	26,263	21.4
आ) परिचालन व्यय	14,833 (10.8)	14,057 (8.6)	-776	-5.2
जिनमें से: वेतन बिल	10,981	10,175	-806	-7.3
ग. कराधान के लिए प्रावधान	**12,819**	**16,451**	**3,632**	**28.3**
घ. लाभ				
परिचालन लाभ (पीबीटी)	39,374	48,849	9,475	24.1
निवल लाभ (पीएटी)	26,556	32,399	5,843	22.0
ङ. वित्तीय अनुपात@				
परिचालन लाभ	1.46	2.81		
निवल लाभ	0.98	1.03		
आय	6.85	7.23		
ब्याज आय	6.67	6.92		
अन्य आय	0.18	0.31		
व्यय	5.09	5.20		
ब्याज व्यय	4.54	4.75		
अन्य परिचालन व्यय	0.55	0.45		
वेतन बिल	0.41	0.32		
प्रावधान	0.47	0.52		
स्प्रेड (निवल ब्याज आय)	2.13	2.17		

@: कुल औसत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में।
टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल आय/व्यय के प्रतिशत हैं।
2. प्रतिशत घटबढ़ में थोड़ा अंतर हो सकता है क्योंकि पूर्ण संख्याओं को ₹ मिलियन में पूर्णांकित किया गया है।
स्रोत: एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड और सिडबी की 31 मार्च को समाप्त और एनएचबी 30 जून की लेखा परीक्षित ऑस्मॉस विवरणियां।

सारणी VI.10: वित्तीय संस्थाओं के चुनिंदा वित्तीय मानदंड

(मार्च 2012 के अंत में)

(प्रतिशत)

संस्था	ब्याज आय/औसत कार्यशील निधियां		ब्याजेतर आय/औसत कार्यशील निधियां		परिचालन लाभ/ औसत कार्यशील निधियां		औसत आस्तियों पर प्रतिफल (प्रतिशत)		प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ मिलियन में)	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
एक्ज़िम बैंक	6.5	7.1	0.5	0.6	2.2	2.5	1.2	1.1	24	27
नाबार्ड	6.2	6.5	0.1	0.2	1.3	1.4	0.9	0.9	3	4
एनएचबी*	7.7	8.6	0.04	0.05	1.7	2.1	1.1	1.3	32	38
सिडबी	8.0	8.5	0.3	0.2	2.9	3.4	1.8	2.0	5	5

*: जून के अंत की स्थिति के अनुसार.
स्रोत: वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत विवरणियां।

सुदृढ़ता संकेतक: आस्ति गुणवत्ता

वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थाओं की अनर्जक आस्तियों में काफी अधिक वृद्धि हुई

6.11 समग्र स्तर पर, वित्तीय संस्थाओं की निवल अनर्जक आस्तियों में काफी अधिक वृद्धि हुई है। निवल अनर्जक आस्तियों में हुई वृद्धि मुख्य रूप से सिडबी और एक्ज़िम बैंक की वजह से थी। 2011-12 के दौरान नाबार्ड की अनर्जक आस्तियां पहले के स्तर पर बनी रहीं जबकि राष्ट्रीय आवास बैंक ने कोई अनर्जक आस्तियां न होने की सूचना दी (सारणी VI.11)।

6.12 एक्ज़िम बैंक की अवमानक और संदिग्ध आस्तियों में काफी अधिक बढ़ोतरी हुई (सारणी VI.12)। एक्ज़िम बैंक की अधिक अनर्जक आस्तियां निरंतर प्रतिकूल बाह्य परिवेश के कारण हो सकती हैं, विशेष रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारत के बढ़ते तालमेल के कारण।

पूंजी पर्याप्तता

पूंजी के मामले में वित्तीय संस्थाओं की स्थिति संतोषजनक है

6.13 2011-12 के दौरान सभी चार वित्तीय संस्थाओं ने 9 प्रतिशत के निर्धारित न्यूनतम मानदंड से अधिक का सीआरएआर बनाये रखा (सारणी VI.13)।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की तीन नई श्रेणियां बनाई गईं- आधारभूत ऋण निधि (एनबीएफसी-आईडीएफ), माइक्रो फाइनैंस संस्था (एनबीएफसी-एमएफआई) और एनबीएफसी-फैक्टर्स

6.14 देयता ढांचे के आधार पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को दो श्रेणियों में रखा गया है अर्थात् श्रेणी 'क की कंपनियां (जनता से जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां) और श्रेणी 'ख' की कंपनियां (जनता से जमाराशियां न जुटाने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां)। जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को निम्नलिखित अपेक्षाएं पूरी करनी होती हैं - पूंजी पर्याप्तता, चलनिधि आस्तियों का अनुरक्षण, एक्सपोजर संबंधी मानदंड (भूमि, भवन और अनकोटेड शेयरों में निवेश संबंधी एक्सपोजर पर पाबंदी सहित), आस्ति देयता प्रबंधन अनुशासन और रिपोर्टिंग अपेक्षा; इसके विपरीत, 2006 तक जमाराशियां न लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर न्यूनतम विनियम लागू थे। 1 अप्रैल 2007 से ₹1 बिलियन और उससे अधिक की आस्तियों वाली जमाराशियां न लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के रूप में वर्गीकृत किया है और विवेकपूर्ण विनियमन, जैसे पूंजी पर्याप्तता और एक्सपोजर मानदंडों के साथ-साथ रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाएं भी उन पर लागू की गई हैं। आस्ति देयता प्रबंधन रिपोर्टिंग और प्रकटन संबंधी मानदंड भी उन पर समय-समय पर लागू किए गये हैं।

सारणी VI.11: निवल अनर्जक आस्तियां

(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ मिलियन में)

संस्थाएं	निवल अनर्जक आस्तियां		निवल अनर्जक आस्तियां / निवल कर्ज (प्रतिशत)	
	2011	2012	2011	2012
1	2	3	4	5
एक्ज़िम बैंक	930	1,558	0.2	0.3
नाबार्ड	298	371	0.02	0.02
एनएचबी	..	..	..	..
सिडबी	1,321	1,847	0.3	0.4
सभी वित्तीय संस्थाएं	**2,549**	**3,776**	**0.1**	**0.13**

.. : उपलब्ध नहीं।
स्रोत: एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड और सिडबी की 31 मार्च को समाप्त और एनएचबी की 30 जून की लेखा परीक्षित ऑस्मॉस विवरणियां।

सारणी VI.12: वित्तीय संस्थाओं का आस्ति वर्गीकरण

(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ मिलियन में)

संस्था	मानक		अवमानक		संदिग्ध		हानि	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
एक्ज़िम बैंक	4,55,628	5,37,340	1,966	4,044	2,456	3,871	358	44
नाबार्ड	13,94,594	16,49,324	-	221	681	681	10	10
एनएचबी*	2,25,814	2,85,185	..	..	..	..	..	..
सिडबी	4,59,215	5,36,034	1,427	2,123	1,364	385	-	1,227
सभी वित्तीय संस्थाएं	25,35,251	30,07,883	3,393	6,388	4,501	4,937	368	1,281

- : शून्य/नगण्य। .. : उपलब्ध नहीं। *: ऑसमॉस विवरणियों के अनुसार जून 2011 के अंत की स्थिति।
स्रोत: एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड और सिडबी की 31 मार्च को समाप्त और एनएचबी की 30 जून की लेखा परीक्षित ऑस्मॉस विवरणियां।

सारणी VI.13: चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं की जोखिम (भारित) आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात

(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

संस्था	2011	2012 अ.
1	2	3
एक्जिम बैंक	17.0	16.4
नाबार्ड	21.8	20.6
एनएचबी *	20.7	19.7
सिडबी	31.6	29.2

*: ऑसमॉस विवरणियों के अनुसार जून 2012 के अंत की स्थिति।
अ: अनंतिम
स्रोत: एक्जिम बैंक, नाबार्ड और सिडबी की 31 मार्च को समाप्त और एनएचबी की 30 जून की लेखा परीक्षित ऑस्मॉस विवरणियां।

6.15 कार्यकलापों के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी आस्ति वित्त कंपनियों, निवेश कंपनियों, कर्ज कंपनियों, आधारभूत वित्त कंपनियों, कोर निवेश कंपनियों, आधारभूत ऋण निधि - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-माइक्रो फाइनैंस संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-फैक्टर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 2011-12 के दौरान गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की दो नई श्रेणियां अर्थात आधारभूत ऋण निधि -गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी-आईडीएफ) और माइक्रो फाइनैंस संस्था (एनबीएफसी-एमएफआई) बनाई गईं और उन्हें अलग विनियामक ढांचे के अंतर्गत लाया गया। इसके अलावा, सितंबर 2012 में एनबीएफसी फैक्टर्स नामक एक नई श्रेणी बनाई गई। इसके पहले अप्रैल 2010 में प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण ऐसी कोर निवेश कंपनियों के लिए एक विनियामक ढांचा बनाया गया था जिनकी आस्तियां ₹1 बिलियन और इसके ऊपर थीं, जिनका कारोबार समूह की कंपनियों में हिस्सा धारण करने के लिए निवेश करना था परंतु वे इन प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग नहीं कर सकती थीं साथ ही वे जनता से निधियां स्वीकार कर सकती थीं। जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण कोर निवेश कंपनियों पर समायोजित निवल हैसियत और लीवरेज के रूप में विवेकपूर्ण अपेक्षाएं भी लागू की गईं क्योंकि उनको निवल स्वाधिकृत निधि, पूंजी पर्याप्तता और एक्सपोजर मानदंड से छूट दी गयी है।

6.16 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-माइक्रो फाइनैंस संस्था को जमाराशियां न लेने वाली एक ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है (भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त कंपनी को छोड़कर) जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करती है: (i) ₹5 करोड़ रुपए की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि (उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए ₹2 करोड़), (ii) इसकी 85 प्रतिशत से अधिक निवल आस्तियां ''पात्र आस्तियों'' की प्रकृति की होनी चाहिए, (iii) शेष 15 प्रतिशत आस्तियों से प्राप्त आय इस संबंध में निर्दिष्ट विनियमों के अनुसार होनी चाहिए। जो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एनबीएफसी-एमएफआई के रूप में पात्र नहीं हैं वे अपनी कुल आस्तियों के 10 प्रतिशत से अधिक कर्ज माइक्रो फाइनैंस क्षेत्र को नहीं दे सकती हैं। आंध्र प्रदेश माइक्रो फाइनैंस संस्था (धन उधार देने संबंधी विनियामवली) अध्यादेश 2010 के पश्चात, माइक्रो फाइनैंस संस्थाओं द्वारा सामना की जा रही कार्यात्मक कठिनाइयों को देखते हुए और इस क्षेत्र को राहत देने के लिए रिज़र्व बैंक ने माइक्रो फाइनैंस संस्थाओं के विनियामक ढांचे में संशोधन किया है ताकि उन्हें विनियमों के अनुपालन के लिए समय दिया जा सके और वे एनबीएफसी-एमएफआई के रूप में बैंक के पास शीघ्र पंजीकरण करा सकें। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु माइक्रो फाइनैंस संस्थाओं के विकास और विनियमन की जरूरत को ध्यान में रखते हुए 22 मई 2012 को लोक सभा में माइक्रो फाइनैंस संस्था (विकास और विनियमन) विधेयक, 2012 लाया गया (बॉक्स VI.1)।

6.17 मार्च 2012 के अंत में जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के स्वामित्व स्वरूप से पता चलता है कि सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों का हिस्सा 3 प्रतिशत से कम है (सारणी VI.14)।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का स्वरूप (अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों सहित)

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी खंड में समेकन जारी है

6.18 जून 2012 की समाप्ति पर रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की संख्या मामूली रूप से घटकर 12,385 हो गई (चार्ट VI.1)। 2011-12 के दौरान जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के मामले में इसी प्रकार की प्रवृत्ति देखी गई जो मुख्य रूप से पंजीकरण प्रमाणपत्रों को निरस्त किए जाने और जमाराशियां लेने वाली गतिविधियों से उनके बाहर निकलने के कारण थी।

6.19 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की संख्या में गिरावट के बावजूद, 2011-12 के दौरान उनकी कुल आस्तियों और निवल स्वाधिकृत निधियों में वृद्धि हुई जबकि जनता की जमाराशियों में गिरावट आई। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कुल आस्तियों में अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों के हिस्से में गिरावट दिखी। 2011-

बॉक्स VI.1: माइक्रो फाइनैंस संस्थाएं (विकास और विनियमन) विधेयक, 2012 और माइक्रो फाइनैंस क्षेत्र पर इसका प्रभाव

माइक्रो फाइनैंस संस्थाएं (विकास और विनियमन) विधेयक, 2012 का उद्देश्य माइक्रो फाइनैंस संस्थाओं के विकास और विनियमन के लिए एक ढांचा उपलब्ध कराना है। यह विधेयक माइक्रो फाइनैंस संस्थाओं को बैंक से अलग एक ऐसे संगठन के रूप में परिभाषित करता है जो कुल ₹5 लाख से अनधिक अथवा रिज़र्व बैंक के विनिर्देशानुसार प्रति व्यक्ति ₹10 लाख से अनधिक माइक्रो ऋण के रूप में माइक्रो फाइनैंस सेवाएं उपलब्ध करा सकता है। बचत संग्रहण, पेंशन अथवा बीमा सेवाएं और भारत के अंदर व्यक्तियों को निधियों के प्रेषण जैसी सहायक सेवाएं भी इन सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। विधेयक में केन्द्र सरकार को एक माइक्रो फाइनैंस विकास परिषद बनाने की अनुमति दी गयी है जो माइक्रो फाइनैंस संस्थाओं के विकास के लिए नीतियां और उपाय सुझाएगी। इसके अलावा, विधेयक में केन्द्र सरकार को राज्य माइक्रो फाइनैंस परिषद बनाने की अनुमति दी गयी है जो संबंधित राज्यों में जिला माइक्रो फाइनैंस समितियों की गतिविधियों के समन्वयन के लिए उत्तरदायी होगी।

जिला माइक्रो फाइनैंस समितियां रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त की जा सकती हैं। इस विधेयक में सभी माइक्रो फाइनैंस संस्थाओं से अपेक्षा की गयी है कि वे रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करें। आवेदक के पास कम-से-कम ₹5 लाख की निवल स्वाधिकृत निधियां (तुलन-पत्र की चुकता ईक्विटी पूंजी और मुक्त रिज़र्व का जोड़) होनी चाहिए। रिज़र्व बैंक को उस संस्था के सामान्य चरित्र अथवा प्रबंधन से भी संतुष्ट होना चाहिए।

प्रत्येक माइक्रो फाइनैंस संस्था को एक प्रारक्षित निधि बनानी होगी और रिज़र्व बैंक प्रति वर्ष इस निधि में जोड़ने के लिए निवल लाभ का कोई एक हिस्सा निर्धारित कर सकता है। इस निधि से तब तक कोई विनियोजन नहीं किया सकता जब तक रिज़र्व बैंक ऐसा विनिर्देश न दे। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, माइक्रो फाइनैंस संस्थाओं को लेखा परीक्षा के लिए रिज़र्व बैंक को वार्षिक तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा उपलब्ध कराना होगा। वे एक विवरणी भी उपलब्ध कराएंगे जिसमें विधेयक पारित होने के 90 दिन के अंदर की उनकी गतिविधियों का ब्यौरा दिया जाएगा। माइक्रो फाइनैंस संस्थाओं के कंपनी ढांचे में कोई परिवर्तन, जैसे-बंदी, समामेलन, अधिग्रहण अथवा पुनर्गठन रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के पश्चात ही हो सकेगा।

विधेयक में सभी माइक्रो फाइनैंस संस्थाओं को निदेश जारी करने की शक्तियां रिज़र्व बैंक को सौंपी गयी हैं। ये निदेश माइक्रो फाइनैंस सेवाएं प्रदान करने के लिए नियोजित आस्तियों की सीमा, कर्ज की सीमा अथवा पूंजी जुटाने के बारे में हो सकते हैं। रिज़र्व बैंक को माइक्रो फाइनैंस संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर और मार्जिन की उच्चतम सीमा निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। मार्जिन को उधार देने की दर और निधियों की लागत के बीच के अंतर (प्रति वर्ष प्रतिशत में) के रूप में परिभाषित किया गया है।

रिज़र्व बैंक माइक्रो फाइनैंस विकास निधि बनाएगा। इसमें मौजूदा माइक्रो फाइनैंस विकास और ईक्विटी निधि की शेष राशि के साथ-साथ दाताओं, संस्थाओं और जनता से जुटाई गई राशि होगी। संसद से विधिवत विनियोजन के पश्चात केन्द्र सरकार इस निधि में अनुदान राशि दे सकती है। इस निधि से किसी माइक्रो फाइनैंस संस्था को कर्ज, अनुदान और अन्य माइक्रो ऋण सुविधाएं दी जा सकती हैं।

रिज़र्व बैंक के पास माइक्रो फाइनैंस सेवाओं के लाभार्थियों की शिकायतों का निराकरण करने का दायित्व है। रिज़र्व बैंक को विधेयक के किसी प्रावधान के उल्लंघन के लिए ₹5 लाख तक का मौद्रिक दंड लगाने की शक्तियां प्रदान की गयी हैं। रिज़र्व बैंक द्वारा माइक्रो फाइनैंस संस्था पर लगाये गये किसी अर्थदंड को किसी दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं ले जाया जा सकता। विधेयक में केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य एजेन्सी को कुछ शक्तियां प्रत्यायोजित करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन, केन्द्र सरकार को विधेयक के प्रावधानों से कतिपय माइक्रो फाइनैंस संस्थाओं को छूट देने की शक्तियां दी गयी हैं।

विधेयक और माइक्रो फाइनैंस क्षेत्र पर इसका संभावित प्रभाव

विधेयक में प्रावधान किया गया है रिज़र्व बैंक माइक्रो फाइनैंस क्षेत्र का समग्र नियामक होगा, चाहे विधिक ढांचा कोई भी हो। रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार को विधेयक पर अपने विचार दिये हैं। विधेयक का उद्देश्य ग्राहकों के हित में इस क्षेत्र का विनियमन करना और अलग-अलग राज्यों में माइक्रो फाइनैंस संबंधी अनेक कानूनों से बचना है। मौजूदा संस्थाओं के विनियमन के अलावा रिज़र्व बैंक द्वारा इन अतिरिक्त संस्थाओं का पर्यवेक्षण करने के लिए संसाधनों में सही संतुलन स्थापित करना एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है। सभी माइक्रो फाइनैंस संस्थाओं को पंजीकृत करने की आवश्यकता प्रभावी विनियमन की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण और जरूरी कदम है। एक लोकपाल की नियुक्ति के प्रस्ताव से बैंकिंग उद्योग को शिकायतों को बेहतर तरीके से निपटाने में उनके प्रयासों को बल मिलेगा। माइक्रो फाइनैंस संस्थाओं के अनिवार्य पंजीकरण से देश के दूर दराज के क्षेत्रों के उन पूर्ववर्ती साहूकारों को संगठित वित्तीय सेवाओं के दायरे में लाया जा सकेगा जो अब तक माइक्रो फाइनैंस संस्थाओं के रूप में कार्य कर रहे थे।

12 के दौरान अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों की निवल स्वाधिकृत निधियां कमोबेश पिछले वर्ष के स्तर पर बनी रहीं (सारणी VI.15)।

6.20 2011-12 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों की तुलना में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की जनता की जमाराशियों के अनुपात में गिरावट आई। वर्ष के दौरान एल3[1] के व्यापक चलनिधि योग की तुलना में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की जमाराशियों के अनुपात में भी कमी आई (चार्ट VI.2)।

[1] एन एम 3 + डाक जमाराशियां + सावधि मुद्रा + जमा प्रमाणपत्र + सावधि जमाराशियां + एनबीएफसी के पास सार्वजनिक जमाराशियां शामिल हैं।

सारणी VI.14: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के स्वामित्व का स्वरूप
(31 मार्च 2012 को)

(कंपनियों की संख्या)

स्वामित्व	एनबीएफसी एनडी-एसआई	जमाराशियां लेने वाली एनबीएफसी
1	2	3
क. सरकारी कंपनियां	9	7
	(2.4)	(2.6)
ख. गैर-सरकारी कंपनियां	366	266
	(97.6)	(97.4)
1. पब्लिक लिमिटेड कपनियां	198	263
	(52.8)	(96.3)
2. प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां	168	3
	(44.8)	(1.1)
कंपनियों की कुल संख्या (क)+(ख)	375	273
	(100.0)	(100.0)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां की कुल संख्या के प्रतिशत हैं।

जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का परिचालन (अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर)

जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वित्तीय कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ

6.21 2011-12 में जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के तुलनपत्र के आकार में 10.8 प्रतिशत की दर पर वृद्धि हुई (सारणी VI.16)। उधार राशियों का हिस्सा जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कुल देयताओं का लगभग दो-तिहाई था। 2011-12 के दौरान जमाराशियां लेने वाली क्रेडिट रेटिंग के अधीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की जनता की जमाराशियों में वृद्धि की प्रवृत्ति जारी रही। आस्ति पक्ष में, कर्ज और

सारणी VI.15: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की स्थरेखा

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	मार्च के अंत में			
	2011		2012अ	
	एनबीएफसी	*जिसमें से :* आरएनबीसी	एनबीएफसी	*जिसमें से :* आरएनबीसी
1	2	3	4	5
कुल आस्तियां	1,169	115	1,244	76
		(9.8)		(6.1)
सार्वजनिक जमाराशियां	120	79	101	43
		(66.0)		(42.2)
निवल स्वाधिकृत निधियां	180	30	225	31
		(16.6)		(13.7)

अ.: अनंतिम

टिप्पणी : 1. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में एनबीएफसी-डी और आरएनबीसी शामिल हैं।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित जोड़ के प्रतिशत हिस्से हैं।
3. जमाराशियां लेने वाली 273 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में से 196 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने 8 सितंबर 2012 की अंतिम तारीख को, मार्च 2012 को समाप्त वर्ष की वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत कीं।

स्रोत: वार्षिक/ तिमाही विवरणियां।

चार्ट VI:1 रिज़र्व बैंक में पंजीकृत एनबीएफसी की संख्या (मार्च के अंत में)

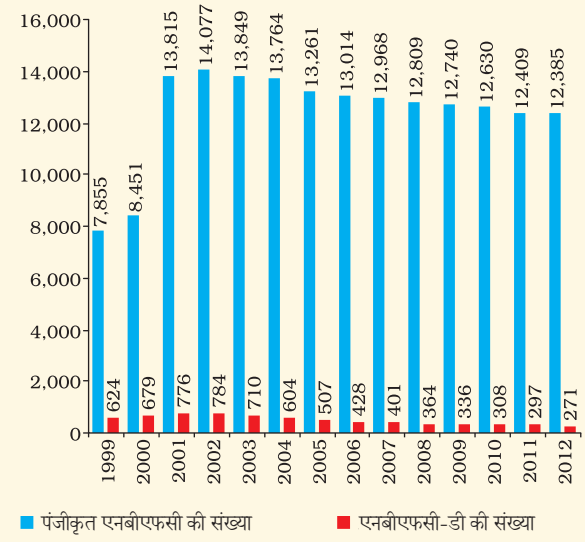

अग्रिम जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सबसे महत्त्वपूर्ण मदें बनी रहीं जो उनकी कुल आस्तियों की लगभग तीन-चौथाई थीं। निवेश दूसरी सबसे महत्त्वपूर्ण मद बनी रही जिसमें 2011-12 के दौरान मुख्य रूप से गैर-एसएलआर निवेशों में गिरावट के कारण धीमी वृद्धि दिखी।

6.22 मार्च 2011-12 के अंत में जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कुल आस्तियों में आस्ति वित्त कंपनियों का सबसे बड़ा हिस्सा था (सारणी VI.17)।

चार्ट VI.2: व्यापक चलनिधि (एल3) और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों की तुलना में एनबीएफसी की सार्वजनिक जमाराशियों का अनुपात

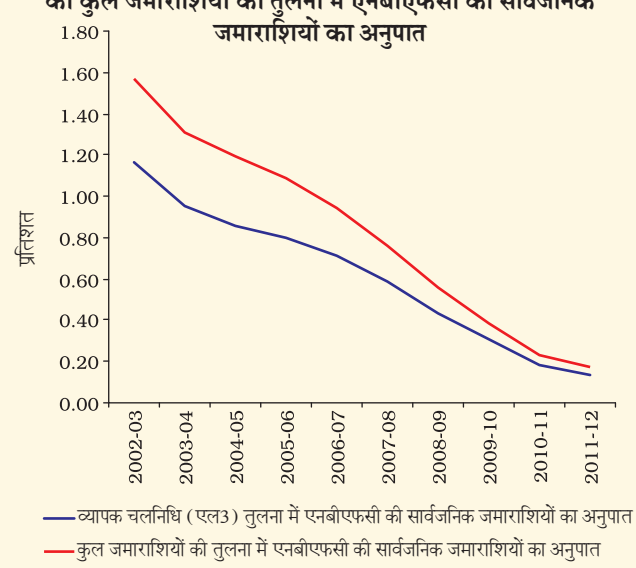

सारणी VI.16: जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का समेकित तुलन-पत्र

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	मार्च के अंत में		घट-बढ़			
			2010-11		2011-12 अ	
	2011	2012अ	समग्र	प्रतिशत	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1. प्रदत्त पूंजी	36 (3.5)	32 (2.8)	-3	-6.4	-4	-11.5
2. रिजर्व अधिशेष	135 (12.8)	162 (13.9)	13	10.9	27	20.2
3. सार्वजनिक जमाराशियां	41 (3.9)	58 (5.0)	12	43.5	18	43.8
4. उधार राशियां	698 (66.2)	809 (69.2)	57	9.0	111	15.9
5. अन्य देयताएं	144 (13.7)	107 (9.1)	32	28.3	-37	-25.9
कुल देयताएं /आस्तियां	**1,054 (100.0)**	**1,169 (100.0)**	**112**	**11.9**	**114**	**10.8**
1. निवेश	211	159	26	14.1	-52	-24.8
(i) एसएलआर में निवेश @	135 (12.8)	134 (11.5)	39	40.0	-1.0	-0.7
(ii) गैर एसएलआर निवेश	76 (7.2)	25 (2.1)	-12	-14.1	-51	-67.6
2. कर्ज तथा अग्रिम	780 (74.0)	874 (74.8)	68	9.6	94	12.1
3. अन्य आस्तियां	63 (6.0)	103 (8.8)	18	39.3	40	62.3

अ. : अनंतिम

@ एसएलआर आस्तियों में 'अनुमोदित प्रतिभूतियां' और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की 'भाररहित मीयादी जमाराशियां' शामिल हैं; कर्ज तथा अग्रिमों में किराया खरीद और पट्टा आस्तियां शामिल हैं।

टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित जोड़ का प्रतिशत हैं।

स्रोत: वार्षिक/ तिमाही विवरणियां।

जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की जमाराशियों का आकार-वार वर्गीकरण

जनता से जमाराशियां जुटाने में बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ज्यादा सफल रहीं

6.23 जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में ₹500 मिलियन और उससे अधिक की जमाराशियों के आकार वाली कंपनियों के हिस्से में तीव्र वृद्धि देखी गई जिनका मार्च 2012 के अंत में कुल जमाराशियों का लगभग 93.2 प्रतिशत हिस्सा था। लेकिन, जमाराशियां लेने वाली केवल 7 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां इस श्रेणी की थीं जो जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कुल संख्या का लगभग 3.6 प्रतिशत थीं। इससे पता चलता है कि केवल अपेक्षाकृत रूप से बड़ी जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ही जमाराशियों के माध्यम से संसाधन जुटा सकीं (सारणी VI.18 और चार्ट VI.3)।

सारणी VI.17: एनबीएफसी की वर्गीकरण-वार जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की देयताओं के मुख्य घटक

(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ बिलियन में)

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वर्गीकरण	कंपनियों की संख्या		जमाराशियां		उधार राशियां		देयताएं	
	2011	2012अ	2011	2012अ	2011	2012अ	2011	2012अ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आस्ति वित्त कंपनियां	174	160	36 (89.4)	45 (76.9)	490 (70.2)	581 (71.8)	740 (70.2)	856 (73.2)
कर्ज कंपनियां	43	36	4 (10.6)	13 (23.1)	208 (29.8)	228 (28.2)	314 (29.8)	313 (26.8)
कुल :	**217**	**196**	**40**	**58**	**698**	**809**	**1,054**	**1,169**

अ.: अनंतिम

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हिस्से हैं।

सारणी VI.18: जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियां - जमाराशि-वार

(राशि ₹ मिलियन में)

जमाराशि की सीमा	मार्च के अंत में			
	एनबीएफसी की संख्या		जमाराशि	
	2011	2012 अ	2011	2012 अ
1	2	3	4	5
1. ₹5 मिलियन से कम	134	117	194	138
2. ₹5 मिलियन से अधिक और ₹20 मिलियन तक	38	34	442	377
3. ₹20 मिलियन से अधिक और ₹100 मिलियन तक	28	27	1,287	1,131
4. ₹100मिलियन से अधिक और ₹200 मिलियन तक	7	7	1,084	1,092
5. ₹ 200मिलियन से अधिक और ₹500 मिलियन तक	2	4	807	1,201
6. ₹500 मिलियन और उससे अधिक	8	7	36,809	54,467
कुल	**217**	**196**	**40,623**	**58,406**

अ: अनंतिम

स्रोत: वार्षिक/ तिमाही विवरणियां।

सारणी VI.19: जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियां- क्षेत्र-वार

(राशि ₹ मिलियन में)

क्षेत्र	मार्च के अंत में			
	2011		2012 अ	
	एनबीएफसी-डी की संख्या	सार्वजनिक जमाराशियां	एनबीएफसी-डी की संख्या	सार्वजनिक जमाराशियां
1	2	3	4	5
उत्तर	144	1,882	125	3,285
पूर्व	8	39	5	39
पश्चिम	20	9,286	17	14,880
दक्षिण	45	29,416	49	40,206
कुल	**217**	**40,623**	**196**	**58,410**
महानगरीय शहर :				
कोलकाता	5	39	3	39
चेन्नै	26	28,638	30	39,338
मुंबई	6	9,074	5	14,682
नई दिल्ली	50	976	43	2,390
कुल	**87**	**38,728**	**81**	**56,450**

अ: अनंतिम.

स्रोत: वार्षिक विवरणियां।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित जमाराशियों की क्षेत्रवार संरचना

6.24 महानगरों के बीच, जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सबसे अधिक संख्या नई दिल्ली में थी, जबकि चेन्नै के पास जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की जनता की कुल जमाराशियों में सबसे अधिक हिस्सा अर्थात् 69.7 प्रतिशत था (सारणी VI.19 और चार्ट VI.4)।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास सार्वजनिक जमाराशियों पर ब्याज दर

जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की बैंक वित्त पर भारी निर्भरता जारी है

6.25 2011-12 के दौरान 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत की ब्याज दर वाली सार्वजनिक जमाराशियों के हिस्से में वृद्धि हुई (सारणी VI.20 और चार्ट VI.5)।

चार्ट VI.3 :जमाराशियों के दायरे के अनुसार एनबीएफसी-डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियों का हिस्सा

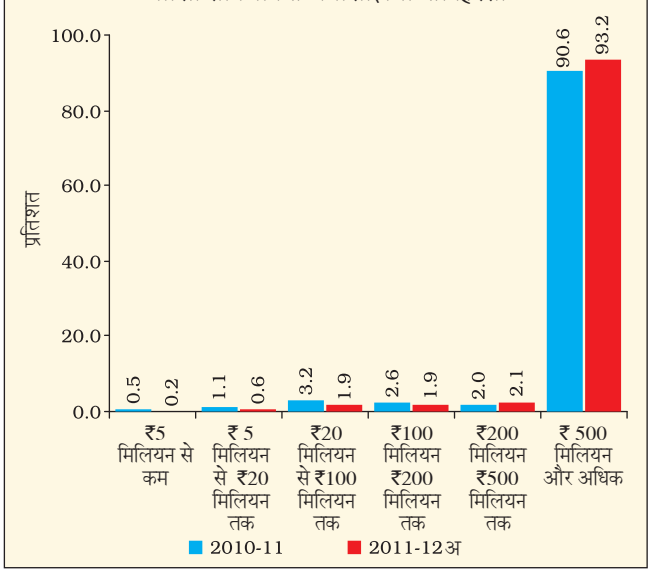

चार्ट VI.4 : एनबीएफसी-डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियों का हिस्सा: क्षेत्र-वार

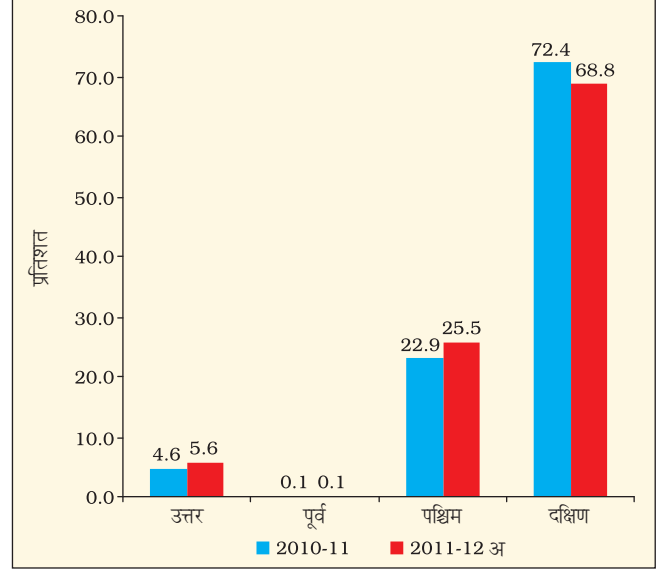

सारणी VI.20 : एनबीएफसी-डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियां - ब्याज दर दायरे के अनुसार

(राशि ₹ मिलियन में)

ब्याज-दर का दायरा	मार्च के अंत में	
	2011	2012 अ
1	2	3
10 प्रतिशत तक	29,963 (73.8)	32,460 (55.6)
10 प्रतिशत से अधिक और 12 प्रतिशत तक	9,454 (23.3)	24,870 (42.6)
12 प्रतिशत और उससे अधिक	1,206 (3.0)	1,080 (1.8)
कुल	**40,623** (100.0)	**58,410** (100.0)

अ: अनंतिम
टिप्पणी: 1. सार्वजनिक जमाराशियों पर ब्याज की दर 12.5 प्रतिशत से अधिक न हो।
2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत हैं।
स्रोत: वार्षिक विवरणियां।

सार्वजनिक जमाराशियों का परिपक्वता स्वरूप

6.26 जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जुटाई गयी सार्वजनिक जमाराशियों का सबसे बड़ा हिस्सा अल्पावधि से मध्यावधि की परिपक्वता वाला था। वर्ष 2011-12 में 2 वर्ष से अधिक की जमाराशियों के हिस्से में वृद्धि हुई (सारणी VI.21 और चार्ट VI.6)।

6.27 बैंक और वित्तीय संस्थाएं जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निधियों की प्रमुख प्रदाता थीं जिनका 2011-12 के दौरान लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा था। इस हिस्से में मामूली रूप से कमी आई है। अन्य (जिसमें, *अन्य के साथ-साथ,* अन्य कंपनियों से उधार ली गयी रकम, वाणिज्यिक पत्र,

सारणी VI.21: एनबीएफसी-डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियों का परिपक्वता स्वरूप

(राशि ₹ मिलियन में)

परिपक्वता अवधि	मार्च के अंत में	
	2011	2012अ
1	2	3
1. 1 वर्ष से कम	9,816 (24.2)	11,720 (20.1)
2. 1 वर्ष से अधिक और 2 वर्ष तक	7,942 (19.6)	15,530 (26.6)
3. 2 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	19,877 (48.9)	24,980 (42.8)
4. 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	2,221 (5.5)	6,170 (10.6)
5. 5 वर्ष और उससे अधिक @	769 (1.9)	10 (0.0)
कुल	**40,624** (100.0)	**58,410** (100.0)

अ: अनंतिम
@ दावा न की गई सार्वजनिक जमाराशियां शामिल हैं।
टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत हैं।
स्रोत: वार्षिक विवरणियां।

म्यूच्युअल फंडों से उधार और अन्य प्रकार की निधियां जिन्हें जनता की जमाराशियां नहीं माना गया, शामिल हैं) में भी गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई (सारणी VI.22)।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्तियां

आस्ति वित्तीय कंपनियों की आस्तियों में उल्लेखनीय विस्तार हुआ

6.28 2011-12 के दौरान जमाराशियां लेने वाले गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र की कुल आस्तियों में मामूली वृद्धि हुई जो मुख्य रूप से आस्ति वित्त कंपनी की आस्तियों में वृद्धि के कारण थी (सारणी

चार्ट VI.5 : एनबीएफसी-डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियां : ब्याज दर दायरे-वार (प्रतिशत)

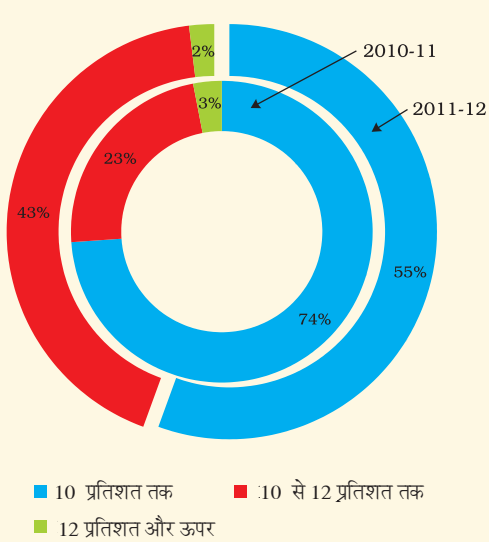

चार्ट VI.6 : एनबीएफसी-डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियों का परिपक्वता स्वरूप (प्रतिशत)

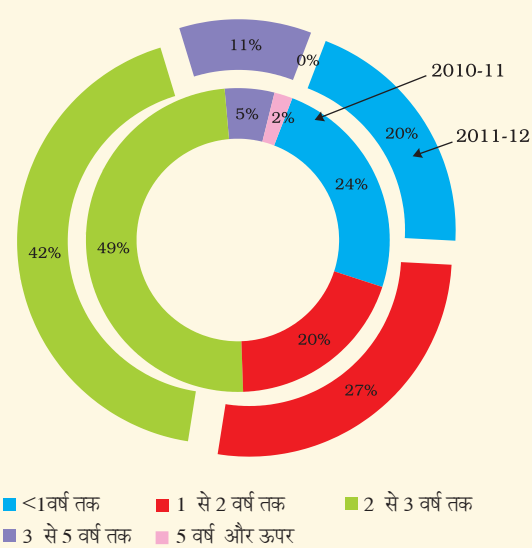

सारणी VI.22: एनबीएफसी की वर्गीकरण-वार जमाराशियां लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की उधारियों के स्रोत

(राशि ₹ बिलियन में)

वर्गीकरण	मार्च के अंत में									
	सरकार		बैंक और वित्तीय संस्थाएं		डिबेंचर		अन्य		कुल उधार	
	2011	2012अ	2011	2012अ	2011	2012अ	2011	2012अ	2011	2012अ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आस्ति वित्त	0.0	0.0	283	300	123	198	84	83	490	581
	(0.0)	(0.0)	(80.2)	(74.9)	(85.7)	(83.3)	(59.0)	(71.2)	(70.2)	(71.8)
कर्ज कंपनियां	59	54	70	101	20	40	59	33	208	228
	(100.0)	(100.0)	(19.8)	(25.1)	(14.3)	(16.7)	(41.0)	(28.8)	(29.8)	(28.2)
कुल	**59**	**54**	**353.2**	**401**	**143**	**238**	**143**	**116**	**698**	**809**

अ : अनंतिम।
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां।

VI.23)। मार्च 2012 के अंत में जमाराशियां लेने वाले गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र की कुल आस्तियों का दो-तिहाई से भी अधिक हिस्सा आस्ति वित्त कंपनियों के पास था। घटक-वार, कुल आस्तियों में अग्रिमों का प्रमुख हिस्सा था जिसके पश्चात निवेश का स्थान था।

आस्ति आकार के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वितरण

6.29 मार्च 2012 के अंत में जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के केवल 6 प्रतिशत के पास ₹5000 मिलियन से अधिक की आस्तियां थीं जिनका जमाराशियां लेने वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कुल आस्तियों में 97 प्रतिशत का हिस्सा था (सारणी VI.24)।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्तियों का वितरण -गतिविधि का प्रकार

6.30 2011-12 के दौरान जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कर्ज और अग्रिमों के रूप में धारित आस्तियों में

सारणी VI.23 : एनबीएफसी की वर्गीकरण-वार जमाराशियां लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्तियों के मुख्य घटक

(राशि ₹ बिलियन में)

वर्गीकरण	मार्च के अंत में					
	आस्तियां		अग्रिम		निवेश	
	2011	2012अ	2011	2012अ	2011	2012अ
1	2	3	4	5	6	7
आस्ति वित्त कंपनियां	740	856	557	656	126	180
	(70.2)	(73.2)	(71.5)	(75.0)	(59.9)	(94.1)
कर्ज कंपनियां	314	313	222	218	85	11
	(29.8)	(26.8)	(28.5)	(25.0)	(40.1)	(5.9)
कुल	**1,054**	**1,169**	**779**	**874**	**211**	**191**

अ : अनंतिम
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां ।

काफी अधिक वृद्धि हुई जबकि निवेश में गिरावट आई। जमाराशियां लेने वाले गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र की कुल आस्तियों में इन दो श्रेणियों की गतिविधियों का हिस्सा 90 प्रतिशत से अधिक था (सारणी VI.25)।

जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

जमाराशियां लेने वाले गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी खंड की निधि आधारित आय में वृद्धि हुई है

6.31 जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वित्तीय कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ है जो 2011-12 के दौरान

सारणी VI.24: आस्ति आकार के दायरे के अनुसार जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्तियां

(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ मिलियन में)

आस्ति दायरा	कंपनियों की सं.		आस्तियां	
	2011	2012अ	2011	2012अ
1	2	3	4	5
1. ₹2.5 मिलियन से कम	2	0	2	0.0
2. ₹2.5 मिलियन से अधिक और ₹5.0 मिलियन तक	9	11	35	45
3. ₹5.0 मिलियन से अधिक और ₹20 मिलियन तक	70	55	804	691
4. ₹20 मिलियन से अधिक और ₹100 मिलियन तक	73	65	3,471	2,917
5. ₹100 मिलियन से अधिक और ₹500 मिलियन तक	34	34	8,224	7,147
6. ₹500 मिलियन से अधिक और ₹1000 मिलियन तक	8	11	5,079	6,910
7. ₹1000 मिलियन से अधिक ₹5000 मिलियन तक	6	8	8,309	19,052
8. ₹5000 मिलियन से अधिक	15	12	1,028,388	1,131,913
कुल	**217**	**196**	**1,054,312**	**1,168,676**

अ.: अनंतिम।
स्रोत: वार्षिक विवरणियां।

सारणी VI.25: जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्तियों के ब्यौरे- कार्यकलाप-वार

(राशि ₹ बिलियन में)

कार्यकलाप	मार्च के अंत में		प्रतिशत वृद्धि
	2011	2012अ	2011-12अ
1	2	3	4
कर्ज तथा अग्रिम	779 (73.9)	874 (74.8)	12.2
निवेश	211 (20.0)	192 (16.4)	-9.2
अन्य आस्तियाँ	64 (6.1)	103 (8.8)	60.0
कुल	**1,054**	**1,169**	**10.8**

अ : अनंतिम।
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां।

उनके परिचालन लाभ में हुई वृद्धि में परिलक्षित होता है। लाभ में हुई यह वृद्धि मुख्य रूप से निधि आधारित आय में बढ़ोतरी के कारण थी (सारणी VI.26)। 2011-12 के दौरान औसत कुल आस्तियों की

सारणी VI.26: जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	मार्च के अंत में	
	2011	2012अ
क. आय (i+ii)	**152**	**181**
(i) निधि आधारित	151 (99.2)	180 (99.3)
(ii) शुल्क आधारित	1 (0.8)	1 (0.7)
ख. व्यय (i+ii+iii)	**109**	**133**
(i) वित्तीय	68 (62.3)	81 (60.9)
जिसमें से ब्याज भुगतान	9 (8.2)	8 (6.0)
(ii) परिचालन	30 (27.1)	35 (26.4)
(iii) अन्य	11 (10.5)	17 (12.8)
ग. कर प्रावधान	**14**	**16**
घ. परिचालन लाभ (करपूर्व लाभ)	**43**	**48**
ङ निवल लाभ (करोत्तर लाभ)	**29**	**33**
च. कुल आस्तियां	**1,054**	**1,169**
छ. वित्तीय अनुपात (कुल आस्तियों की तुलना में % के रूप में)		
i) आय	14.4	15.5
ii) निधि आय	14.3	15.4
iii) शुल्क आय	0.0	0.1
iv) व्यय	10.4	11.4
v) वित्तीय व्यय	0.1	6.9
vi) परिचालन व्यय	2.8	3.0
vii) कर प्रावधान	1.3	1.3
viii) निवल लाभ	2.7	2.8
ज. आय की तुलना में लागत अनुपात	**72.0**	**73.3**

अ : अनंतिम ।
टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत हैं।
2. प्रतिशत घटबढ़ में थोड़ा अंतर हो सकता है क्योंकि पूर्ण संख्याओं को ₹ बिलियन में पूर्णांकित किया गया है।
स्रोत: वार्षिक विवरणियां

चार्ट VI.7 : एनबीएफसी-डी का वित्तीय कार्य-निष्पादन

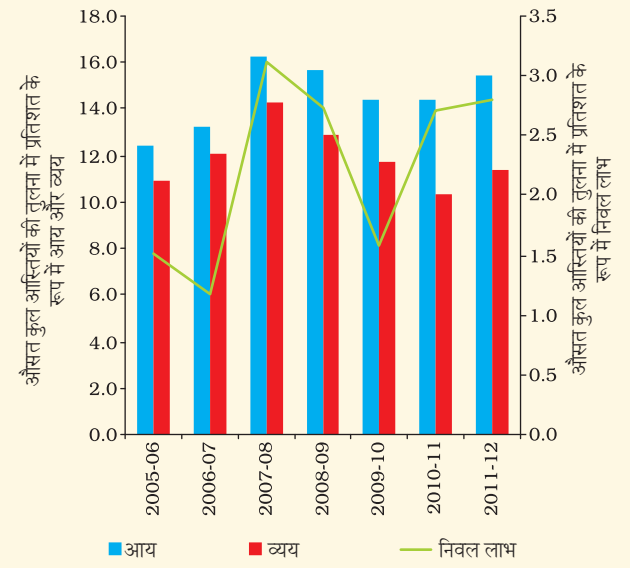

तुलना में प्रतिशत के रूप में व्यय में मामूली वृद्धि हुई। इसी प्रकार की प्रवृत्ति जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की औसत कुल आस्तियों की तुलना में प्रतिशत के रूप में आय में देखी गई है (चार्ट VI.7)।

सुदृढ़ता संकेतक: जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्ति गुणवत्ता

जमाराशियां लेने वाले गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी खंड की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट

6.32 2011-12 के दौरान जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कुल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक

सारणी VI.27: जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के एनपीए अनुपात

(प्रतिशत)

मार्च के अंत में	कुल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए	निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए
1	2	3
2002	10.6	3.9
2003	8.8	2.7
2004	8.2	2.4
2005	5.7	2.5
2006	3.6	0.5
2007	2.2	0.2
2008	2.1	#
2009	2.0	#
2010	1.3	#
2011	0.7	#
2012 अ	2.1	0.5

अ : अनंतिम । #: अर्नजक आस्तियों से अधिक प्रावधान।
स्रोत : एनबीएफसी-डी की छमाही विवरणियां।

सारणी VI.28: एनबीएफसी के वर्गीकरण के अनुसार जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एनपीए

(राशि ₹ बिलियन में)

वर्गीकरण/मार्च के अंत में	सकल अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां		निवल अग्रिम	निवल अनर्जक आस्तियां	
		राशि	सकल अग्रिमों की तुलना में %		राशि	निवल अग्रिमों की तुलना में %
1	2	3	4	5	6	7
आस्ति वित्त						
2010-11	517	3	0.5	508	-7	-1.4
2011-12 अ	663	16	2.3	651	3	0.5
कर्ज कंपनियां						
2010-11	183	2	1.3	181	-0.1	0.0
2011-12 अ	208	3	1.6	206	2	0.8
सभी कंपनियां						
2010-11	700	5	0.7	689	-7	-1.0
2011-12 अ	871	19	2.1	857	5	0.5

अ. : अनंतिम।
स्रोत : एनबीएफसी-डी की छमाही विवरणियां।

आस्तियों में काफी अधिक वृद्धि हुई जो हाल की प्रवृत्तियों से भिन्न है। निवल अनर्जक आस्तियां 2008 से 2011 तक ऋणात्मक बनी रहीं जिससे 31 मार्च 2012 को अनर्जक आस्तियों से अधिक प्रावधानों में कुल निवल अग्रिमों के 0.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी VI.27)।

6.33 2011-12 के दौरान आस्ति वित्त और कर्ज़ कंपनियों की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट आई जैसाकि इन कंपनियों के सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए में हुई वृद्धि से स्पष्ट है (सारणी VI.28)।

पारदर्शिता और उधारकर्ताओं की समझ बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक ने एक संशोधित उचित व्यवहार संहिता जारी की है (बॉक्स VI.2)।

बॉक्स VI.2: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए उचित व्यवहार संहिता पर दिशानिर्देश

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र की हाल की गतिविधियों के आलोक में, रिज़र्व बैंक ने 28 सितंबर 2006 को सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए जारी उचित व्यवहार संहिता संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन किया है। 26 मार्च 2012 के संशोधित परिपत्र की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

सामान्य

(क) उधारकर्ता के साथ समस्त पत्राचार देशी भाषा में अथवा ग्राहक द्वारा समझी जाने वाली भाषा में होना चाहिए।

(ख) ऋण आवेदन फार्म में उन आवश्यक सूचनाओं को शामिल किया जाना चाहिए जो ग्राहक के हितों को प्रभावित करती हों।

(ग) कर्ज करार में सभी ब्यौरे होने चाहिए।

(घ) कर्ज करार में दी गई शर्तों के प्रयोजनों के अलावा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ग्राहक के मामलों में हस्तक्षेप से बचना चाहिए।

(ङ) कर्ज की वसूली के मामले में, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अनुचित उत्पीड़न का सहारा नहीं लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्टाफ-सदस्यों को ग्राहकों से व्यवहार करने के लिए समुचित प्रशिक्षण दिया गया है।

(च) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के निदेशक मंडल को संगठन के अंदर समुचित शिकायत निवारण प्रणाली भी स्थापित करनी चाहिए।

(छ) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अपने बोर्ड के अनुमोदन से उचित व्यवहार संहिता लागू करनी चाहिए। उसे अपनी वेबसाइट पर डालना चाहिए।

(ज) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बोर्ड को ब्याज दरों के निर्धारण और प्रोसेसिंग तथा अन्य प्रभारों को तय करने के लिए समुचित आंतरिक सिद्धांत और प्रक्रियाएं निर्धारित करनी चाहिए।

(झ) प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के बोर्ड को निधियों की लागत, मार्जिन और जोखिम प्रीमियम जैसे संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए एक ब्याज दर मॉडल अपनाना चाहिए।

(ञ) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उधारकर्ता के साथ किए गए कर्ज करार/ संविदा में एक पुनः कब्जा खंड अवश्य रखना चाहिए जिसे कानूनी तौर पर लागू कराया जा सके।

(ट) पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, संविदा / कर्ज करार की शर्तों में निम्नलिखित प्रावधान भी होने चाहिए:(क) कब्जा लेने के पहले नोटिस अवधि; (ख) वे परिस्थितियां जिनके अंतर्गत नोटिस अवधि को माफ किया जा सकता है; (ग) प्रतिभूति को कब्जा में लेने की प्रक्रिया; (घ) संपत्ति की बिक्री/ नीलामी के पहले कर्ज के भुगतान के लिए उधारकर्ता को दिये जाने वाले अंतिम अवसर से संबंधित प्रावधान; (ङ) उधारकर्ता को पुनः कब्जा देने की प्रक्रिया और (च) संपत्ति की बिक्री/ नीलामी की प्रक्रिया।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - माइक्रो फाइनैंस संस्थाएं

उक्त सामान्य सिद्धांतों के अलावा, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-माइक्रो फाइनैंस संस्थाओं को उन उचित व्यवहारों को अपनाने की आवश्यकता है जो उनके उधार देने के कारोबार और विनियामी ढांचे के अनुरूप हैं।

(क) देशी भाषा में एक घोषणा तैयार करके उसे गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-माइक्रो फाइनैंस संस्था के अपने परिसर में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, साथ ही कर्ज संबंधी कार्डों में पारदर्शिता तथा उधार देने की उचित प्रथा के प्रति प्रतिबद्धता का उल्लेख किया जाना चाहिए;

(ख) उधारकर्ताओं के मौजूदा ऋणों से संबंधित आवश्यक प्रश्न पूछने के लिए फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और उधारकर्ताओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए;

(जारी)

(ग) ब्याज की प्रभावी दर और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-माइक्रो फाइनैंस संस्था द्वारा बनाई गई शिकायत निवारण प्रणाली को अपने सभी कार्यालयों में स्पष्ट रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए;

(घ) स्टाफ-सदस्यों के अनुचित व्यवहार को रोकने के लिए माइक्रो फाइनैंस संस्थाएं उत्तरदायी होंगी तथा समय पर शिकायतों का निवारण किया जाएगा, इस प्रकार की एक घोषणा कर्ज करार में की जानी चाहिए;

(ङ) सभी कर्जों की स्वीकृति और उनका संवितरण केवल केन्द्रीय स्थान पर किया जाना चाहिए और इस कार्य में एक से अधिक व्यक्ति लगाये जाना चाहिए;

(च) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-माइक्रो फाइनैंस संस्थाओं के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर्ज करार का मानक फॉर्म होना चाहिए, यह फार्म देशी भाषाओं में तैयार करने को वरीयता दी जानी चाहिए;

(छ) कर्ज कार्ड में लगाए गए प्रभावी ब्याज सहित सभी ब्यौरे दिये जाने चाहिए;

(ज) जारी किये गये ऋणेतर उत्पादों पर उधारकर्ताओं की पूर्ण सहमति होनी चाहिए और कर्ज कार्ड में ही शुल्क का विवरण दिया जाना चाहिए;

(झ) वसूली सामान्य रूप से केवल एक निर्दिष्ट केन्द्रीय स्थान पर होनी चाहिए;

(ञ) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-माइक्रो फाइनैंस संस्थाओं को सुनिश्चित करना होगा कि फील्ड स्टाफ की आचरण संहिता संबंधी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति लागू है;

स्वर्ण आभूषणों की जमानत पर कर्ज

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाये जाएं कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी केवाईसी दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है और यह सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाये जाएं कि ग्राहक को कोई कर्ज देने के पहले पर्याप्त सतर्कता बरती गई है।

(ख) प्राप्त आभूषणों के लिए समुचित जांच प्रक्रिया।

(ग) स्वर्ण आभूषणों के स्वामित्व की जांच के लिए आंतरिक प्रणाली।

(घ) नीति में इन बातों को भी शामिल किया जाना चाहिए, जैसे आभूषणों को सुरक्षित तिजोरी में रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो, इस प्रणाली की निरंतर आधार पर समीक्षा हो, संबंधित स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यविधि का पूरी तरह से अनुपालन किया जा रहा है आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा आवधिक निरीक्षण किया जाए।

(ङ) ऐसी शाखाओं द्वारा स्वर्ण की जमानत पर कर्ज नहीं दिये जाने चाहिए जिनके पास आभूषणों को रखने के लिए समुचित सुविधा नहीं है।

(च) संपार्श्विक के रूप में स्वीकार किये गये आभूषणों का समुचित तरीके से बीमा कराया जाना चाहिए।

(छ) भुगतान न किये जाने के मामले में आभूषणों की नीलामी से संबंधित बोर्ड अनुमोदित नीति पारदर्शी होनी चाहिए और नीलामी की तारीख के पहले उधारकर्ता को समुचित पूर्व नोटिस दिया जाना चाहिए।

(ज) कम से कम 2 समाचार पत्रों अर्थात एक देशी भाषा में और दूसरा राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन देकर जनता को नीलामी की सूचना दी जानी चाहिए।

(झ) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को नीलामी में नीति के तौर पर स्वयं भाग नहीं लेना चाहिए।

(ञ) गिरवी रखे गये स्वर्ण की नीलामी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीलामीकर्ताओं के माध्यम से की जाएगी।

(ट) धोखाधड़ी से निपटने के लिए बनाई जाने वाली प्रणाली और प्रक्रिया को भी नीति में शामिल किया जाएगा जिसमें संग्रहण, कार्यान्वयन और अनुमोदन के कर्तव्यों को अलग-अलग रखा जाएगा।

6.34 2011-12 में सभी कंपनियों की सभी तीन प्रकार की अनर्जक आस्तियों की श्रेणियों अर्थात अवमानक, संदिग्ध और हानिग्रस्त आस्तियों के हिस्सों में वृद्धि हुई जिससे इन संस्थाओं की आस्ति गुणवत्ता में मामूली गिरावट का पता चलता है। आस्ति की गुणवत्ता में गिरावट मुख्य रूप से आस्ति वित्त कंपनियों के कारण हुई (सारणी VI.29)।

सारणी VI.29: एनबीएफसी के वर्गीकरण के अनुसार जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्तियों का वर्गीकरण

(राशि ₹ बिलियन में)

	मानक आस्तियां	अवमानक आस्तियां	संदिग्ध आस्तियां	हानि आस्तियां	सकल अनर्जक आस्तियां	सकल अग्रिम
1	2	3	4	5	6	7
आस्ति वित्त कंपनियां						
2010-11	515	2.1	0.3	0.1	2.5	517
	(99.5)	(0.4)	(0.1)	(0.0)	(0.5)	(100.0)
2011-12अ	648	10	4	2	15	663
	(97.7)	(1.5)	(0.5)	(0.3)	(2.3)	(100.0)
कर्ज कंपनियां						
2010-11	180	1	2	0	2	183
	(98.7)	(0.6)	(0.4)	(0.0)	(1.3)	(100.0)
2011-12अ	205	2	1	0.4	3	208
	(98.4)	(1.0)	(0.4)	(0.2)	(1.6)	(100.0)
सभी कंपनियां						
2010-11	695	3	2	0.1	5	700
	(99.3)	(0.5)	(0.1)	(0.0)	(0.7)	(100.0)
2011-12अ	852	12	4	2	19	871
	(97.8)	(1.4)	(0.5)	(0.3)	(2.2)	(100.0)

अ.: अनंतिम

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल ऋण एक्सपोजर के प्रतिशत हैं।

स्रोत: एनबीएफसी-डी की छमाही विवरणियां।

सारणी VI. 30 जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पूंजी पर्याप्तता अनुपात

(कंपनियों की संख्या)

सीआरएआर दायरा	2010-11			2011-12अ		
	एएफसी	एलसी	कुल	एएफसी	एलसी	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1) 12 प्रतिशत से कम	1	1	2	1	1	2
क) 9 प्रतिशत से कम	1	1	2	1	1	2
ख) 9 प्रतिशत से अधिक तथा 12 प्रतिशत तक	0	0	0	0	0	0
2) 12 प्रतिशत से अधिक तथा 15 प्रतिशत तक	1	2	3	1	0	1
3) 15 प्रतिशत से अधिक तथा 20 प्रतिशत तक	5	3	8	8	3	11
4) 20 प्रतिशत से अधिक तथा 30 प्रतिशत तक	19	3	22	16	2	18
5) 50 प्रतिशत से अधिक	142	27	169	131	27	158
कुल	**168**	**36**	**204**	**157**	**33**	**190**

अ.: अनंतिम
टिप्पणी: एएफसी: आस्ति वित्त कंपनी; एलसी : कर्ज कंपनियां
स्रोत : छमाही विवरणियां।

6.35 मार्च 2012 के अंत में, रिपोर्ट करने वाली 190 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में से 187 कंपनियों का सीआरएआर 15 प्रतिशत से अधिक था (सारणी VI.30)। इससे यह संकेत मिलता है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों से समेकन की प्रक्रिया चल रही है, कमजोर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां धीरे-धीरे बाहर निकल रही हैं और मजबूत कंपनियां उनकी जगह ले रही हैं। मार्च 2012 के अंत में सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निवल स्वाधिकृत निधियों की तुलना में सार्वजनिक जमाराशियों का अनुपात कमोबेश पूर्ववत रहा है (सारणी VI.31)। 2011-12 के दौरान जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निवल स्वाधिकृत निधियों और सार्वजनिक जमाराशियों में काफी

सारणी VI.31 वर्गीकरण-वार जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सार्वजनिक जमाराशियों की तुलना में निवल स्वाधिकृत निधियां

(राशि ₹ बिलियन में)

वर्गीकरण	निवल स्वाधिकृत निधि		सार्वजनिक जमाराशियां	
	2010-11	2011-12अ.	2010-11	2011-12अ.
1	2	3	4	5
आस्ति वित्त कंपनियां	108	139	36 (0.3)	45 (0.3)
कर्ज कंपनियां	42	56	4 (0.1)	13 (0.2)
कुल	**150**	**195**	**41 (0.3)**	**58 (0.3)**

अ: अनंतिम
टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े निवल स्वाधिकृत निधियों की तुलना में सार्वजनिक जमाराशियों के अनुपात हैं।
स्रोत: वार्षिक विवरणियां।

अधिक वृद्धि हुई। निवल स्वाधिकृत निधियों में वृद्धि मुख्य रूप से ₹5,000 मिलियन और उससे अधिक वाली श्रेणी में केन्द्रित थी (सारणी VI.32)।

अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियां

अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियां अन्य कारोबार मॉडलों की ओर जाने करने की प्रक्रिया में हैं

6.36 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के दौरान अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों की आस्तियों में 34 प्रतिशत की गिरावट आई। इन आस्तियों में मुख्य रूप से भाररहित अनुमोदित प्रतिभूतियों, बांडों / डिबेंचरों में निवेश तथा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मीयादी जमाराशियां / प्रमाणपत्र शामिल हैं। 2011-12 में अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों की निवल स्वाधिकृत निधियों में भी 52.2 प्रतिशत की गिरावट आई है (सारणी VI.33)। 2011-12 के दौरान अवशिष्ट गैर-बैंकिंग

सारणी VI.32: जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सार्वजनिक जमाराशियों की तुलना में निवल स्वाधिकृत निधियों का दायरा

(राशि ₹ मिलियन में)

निवल स्वाधिकृत निधि का दायरा	2010-11			2011-12अ		
	कंपनियों की संख्या	निवल स्वाधिकृत निधि	सार्वजनिक जमाराशियां	कंपनियों की संख्या	निवल स्वाधिकृत निधि	सार्वजनिक जमाराशियां
1	2	3	4	5	6	7
₹2.5 मिलियन तक	2	-2,003	324	1	-1	1.2
₹2.5 मिलियन से अधिक और ₹20 मिलियन तक	113	838	320	89	750	242
₹20 मिलियन से अधिक और ₹100 मिलियन तक	65	2,662	1,359	67	2,894	1,271
₹100 मिलियन से अधिक और ₹500 मिलियन तक	20	4,529	1,133	21	4,468	1,252
₹500 मिलियन से अधिक और ₹1000 मिलियन तक	2	1,204	1,038	4	2,869	817
₹1000 मिलियन से अधिक और ₹5000 मिलियन तक	7	17,118	4,526	7	13,876	15,612
₹5000 मिलियन से अधिक	8	1,25,527	31,923	7	1,69,792	39,212
कुल	**217**	**1,49,874**	**40,623**	**196**	**1,94,648**	**58,406**

अ.: अनंतिम ।
टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित स्वाधिकृत निधि की तुलना में सार्वजनिक जमाराशियों के अनुपात हैं।
स्रोत: वार्षिक विवरणियां ।

सारणी VI.33 : अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों का प्रोफाइल

(राशि ₹ मिलियन में)

मद	2010-11	2011-12अ	घट-बढ़ प्रतिशत में	
			2010-11	2011-12अ
1	2	3	4	5
क. आस्तियां (i से v)	**1,14,670**	**75,430**	**-26.6**	**-34.2**
(i) भाररहित अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	13,080	8,380	-47.0	-36.0
(ii) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों / सरकारी वित्तीय संस्थाओं की मीयादी जमाराशियों/ जमा प्रमाणपत्रों में निवेश	26,520	13,900	-45.4	-47.6
(iii) सरकारी कंपनियों/ सरकारी क्षेत्र के बैंकों / सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं / निगमों के डिबेंचर/बांड/वाणिज्यिक पत्र	28,760	7,510	-45.6	-73.9
(iv) अन्य निवेश	490	4,330	-96.2	784.3
(v) अन्य आस्तियाँ	45,820	41,310	166.6	-9.8
ख. निवल स्वाधिकृत निधि	29,880	14,270	2.3	-52.2
ग. कुल आय (i+ii)	11,590	3,320	-40.4	-71.3
(i) निधि आय	11,280	2,940	-41.3	-73.9
(ii) शुल्क आय	310	380	19.2	24.1
घ. कुल व्यय (i+ii+iii)	10,060	1,660	-28.1	-83.5
(i) वित्तीय लागत	6,310	460	-35.2	-92.7
(ii) परिचालन लागत	3,680	520	7.3	-85.9
(iii) अन्य लागत	70	680	-91.6	876.9
ङ. कराधान	620	570	-62.2	-8.1
च. परिचालन लाभ (पीबीटी)	1,530	1,670	-72.0	8.9
छ. निवल लाभ(पीएटी)	910	1,100	-76.2	20.5

अ.: अनंतिम ।
पीबीटी: कर पूर्व लाभ; पीएटी : कर पश्चात लाभ।

कंपनियों के व्यय में गिरावट आय में गिरावट से अधिक रही जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों के परिचालन लाभ में बढ़ोतरी हुई। कराधान के प्रावधान में गिरावट के कारण 2011-12 के दौरान अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों के निवल लाभ में तेजी से वृद्धि हुई।

अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों की जमाराशियों का क्षेत्रीय स्वरूप

6.37 मार्च 2012 के अंत में दो अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियां रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत थीं। इनमें से एक मध्य क्षेत्र में और एक पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। दोनों ही अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियां दूसरे कारोबारी मॉडल में जाने की प्रक्रिया में हैं और उनको 2015 तक अपनी जमा देयताओं को घटाकर 'शून्य' करने का निदेश दिया गया है। 2011-12 के दौरान इन दो अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियों में बहुत अधिक गिरावट दिखी, ऐसा मुख्य रूप से सहारा इंडिया वित्तीय निगम लिमिटेड द्वारा धारित

सारणी VI.34: अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियां - क्षेत्र-वार

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	2010-11		2011-12अ	
	आरएनबीसी की संख्या	जमाराशियां	आरएनबीसी की संख्या	सार्वजनिक जमाराशियां
1	2	3	4	5
मध्य	1	53 (66.9)	1	21 (50.0)
पूर्वी	1	26 (33.1)	1	21 (50.0)
कुल	2	79	2	42
महानगरीय शहर				
कोलकाता	1	26	1	21
कुल	1	26	1	21

अ.: अनंतिम ।
टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल का अनुपात हैं।
स्रोत: वार्षिक विवरणियां ।

जमाराशियों में काफी अधिक गिरावट के कारण हुआ (सारणी VI.34)।

अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों के निवेश का स्वरूप

6.38 जमाराशियों में गिरावट के फलस्वरूप, 2011-12 के दौरान अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों के निवेशों में गिरावट आई। यह गिरावट निवेश के सभी खंडों में देखी जा सकती है (सारणी VI.35)।

जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

यद्यपि बैंक उधारों का आकार बड़ा है, डिबेंचरों के माध्यम से लिए गये उधारों में काफी अधिक वृद्धि देखी गयी

6.39 मार्च 2012 के अंत में जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्तियों में 21

सारणी VI.35: अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों के निवेश का स्वरूप

(राशि ₹ मिलियन में)

मद	2010-11	2011-12अ
1	2	3
जमाकर्ताओं के प्रति समग्र देयताएं (एएलडी)	**79,020**	**42,650**
(i) भाररहित अनुमोदित प्रतिभूतियां	13,080 (16.6)	8,380 (19.6)
(ii) बैंकों में सावधि जमाराशियां	26,520 (33.6)	13,900 (32.6)
(iii) सरकारी कंपनी/सरकारी क्षेत्र के बैंक/ सरकारी वित्तीय संस्था/ निगम के बांड या डिबेंचर या वाणिज्यिक पत्र	28,760 (36.4)	7,510 (17.6)
(iv) अन्य निवेश	490 (0.6)	4,330 (10.2)

अ.: अनंतिम
टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े जमाकर्ताओं के प्रति समग्र देयताओं के प्रतिशत हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां ।

प्रतिशत की वृद्धि हुई। जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कुल उधारों (जमानती और बेजमानती) में 23.6 प्रतिशत की काफी अधिक वृद्धि दिखी जो कुल देयताओं के दो-तिहाई से अधिक थी (सारणी VI.36)। जमानती उधार, जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निधियों के सबसे बड़े स्रोत रहे, जिसके पश्चात बेजमानती उधार, आरक्षित निधियां और अधिशेष थे।

सारणी VI.36: एनबीएफसी-एनडी-एसआई का समेकित तुलन-पत्र

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	2010-11	2011-12	घट-बढ़ (प्रतिशत)
1	2	3	4
1. शेयर पूंजी	**382**	**505**	**32.1**
2. रिजर्व और अधिशेष	1,599	1,901	18.9
3. कुल उधार	**5,175**	**6,398**	**23.6**
अ. जमानती उधार	**2,915**	**3,770**	**29.3**
अ.1. डिबेंचर	984	1,732	76.0
अ.2. बैंकों से उधार	1,006	1,441	43.2
अ.3. वित्तीय संस्थाओं से उधार	103	90	-12.7
अ.4. उपचित ब्याज	52	63	22.9
अ.5. अन्य	770	444	-42.3
आ. बेजमानती उधार	**2,260**	**2,628**	**16.3**
आ.1. डिबेंचर	753	1,218	61.7
आ.2. बैंकों से उधार	461	436	-5.3
आ.3. वित्तीय संस्थाओं से उधार	31	53	74.0
आ.4. रिश्तेदारों से उधार	13	12	-9.5
आ.5. इंटर-कारपोरेट उधार	242	278	14.5
आ.6. वाणिज्यिक पत्र	314	306	-2.8
आ.7. उपचित ब्याज	44	69	59.0
आ.8. अन्य	401	256	-36.3
4. चालू देयताएं एवं प्रावधान	457	409	-10.6
कुल देयताएं / कुल आस्तियां	**7,613**	**9,213**	**21.0**
आस्तियां			
1. कर्ज तथा अग्रिम	4,709	5,900	25.3
1.1. जमानती	3,406	4,486	31.7
1.2. बेजमानती	1,304	1,414	8.5
2. किराया खरीद आस्तियां	502	635	26.5
3. निवेश	1,507	1,595	5.9
3.1. दीर्घावधि निवेश	1,089	1,227	12.6
3.2. चालू निवेश	417	368	-11.7
4. नकद और बैंक शेष	313	357	14.0
5. अन्य चालू आस्तियां	437	553	26.5
6. अन्य आस्तियां	144	173	19.9
ज्ञापन मदें			
1. पूंजी बाजार एक्सपोजर	822	799	-2.8
जिसमें से : ईक्विटी शेयर	347	253	-27.0
2. कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में पूंजी बाजार एक्सपोजर	10.8	8.7	
3. लीवरेज अनुपात	2.84	2.83	2.95

टिप्पणी: 1. प्रतिशत घटबढ़ में थोड़ा अंतर हो सकता है क्योंकि पूर्ण संख्याओं को ₹ बिलियन में पूर्णांकित किया गया है।

स्रोत: एनडी-एसआई की मासिक विवरणियां (₹1 बिलियन और उससे अधिक)।

6.40 जमाराशियां न लेने वाले प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी खंड में तेजी से वृद्धि हो रही है। उधार उनकी निधियों के सबसे बड़े स्रोत हैं, जो अधिकांशतः बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से लिए गए हैं। वे जितना बैंक वित्तीयन पर निर्भर करते हैं जमाकर्ताओं के प्रति उनका अप्रत्यक्ष एक्सपोजर उतना ही होता है। यद्यपि निधियों के संकेन्द्रण में जोखिम निहित हैं परंतु गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकों द्वारा उधार देने में सीमा लगाने से उनकी वृद्धि रुक सकती है। जमाराशियां न लेने वाले प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी खंड का लीवरेज अनुपात पिछले वर्ष की तरह ही बना हुआ है।

जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के क्षेत्रवार उधार

उत्तरी क्षेत्र निधियों का प्रमुख स्रोत बना हुआ है

6.41 जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के क्षेत्रवार उधारों के विश्लेषण से उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र के प्राधान्य का पता चलता है। वर्ष के दौरान मार्च 2012 के अंत में कुल उधारों में उनका हिस्सा 70 प्रतिशत से अधिक था। जून 2012 को समाप्त तिमाही के दौरान यही प्रवृत्ति जारी रही। मार्च 2012 को समाप्त वर्ष और जून 2012 को समाप्त तिमाही के दौरान सभी क्षेत्रों में वृद्धि हुई (सारणी VI.37)।

वित्तीय कार्य-निष्पादन

जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वित्तीय कार्य-निष्पादन में गिरावट आई और अनर्जक आस्तियों में वृद्धि हुई

6.42 जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वित्तीय कार्य-निष्पादन में मामूली रूप

सारणी VI.37: एनबीएफसी-एनडी-एसआई की उधारियां - क्षेत्र-वार

(राशि ₹ बिलियन में)

क्षेत्र	मार्च 2011	मार्च 2012अ	जून 2012अ
1	2	3	4
उत्तर	2,707	3,431	3,502
पूर्व	231	329	368
पश्चिम	1,383	1,512	1,594
दक्षिण	854	1,127	1,193
कुल उधार राशियां	**5,175**	**6,398**	**6,657**

अ.: अनंतिम

स्रोत : एनबीएफसी-एनडी-एसआई की मासिक विवरणियां ।

सारणी VI.38: एनबीएफसी-एनडी-एसआई क्षेत्र का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	निम्नलिखित के अंत में		
	मार्च 2011	मार्च 2012	जून 2012
1	2	3	4
1. कुल आय	752	948	263
2. कुल व्यय	529	740	192
3. निवल लाभ	160	139	51
4. कुल आस्तियां	7,613	9,213	9,608
वित्तीय अनुपात			
(i) कुल आस्तियों की तुलना में आय (प्रतिशत)	9.9	10.3	2.7
(ii) कुल आस्तियों की तुलना में में व्यय (प्रतिशत)	6.9	8.0	1.9
(iii) कुल आय की तुलना में निवल लाभ (प्रतिशत)	21.3	14.6	19.4
(iv) कुल आस्तियों की तुलना में निवल लाभ (प्रतिशत)	2.1	1.5	0.5

स्रोत: एनडी-एसआई की मासिक विवरणियां (₹1 बिलियन और उससे अधिक)।

से गिरावट आई जैसाकि 2011-12 के निवल लाभ की गिरावट में परिलक्षित हुआ (सारणी VI.38)। वर्ष के दौरान जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कुल आस्तियों की तुलना में सकल और निवल एनपीए दोनों में वृद्धि हुई। जून 2012 में यही प्रवृत्ति जारी रही (सारणी VI.39)।

सारणी VI.39 एनबीएफसी-एनडी-एसआई क्षेत्र का अनर्जक आस्ति अनुपात

(प्रतिशत)

मद	निम्नलिखित के अंत में		
	मार्च 2011	मार्च 2012	जून 2012
1	2	3	4
(i) सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए		2.08	2.26
(ii) निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए		1.25	1.37
(iii) कुल आस्तियों की तुलना में सकल एनपीए		1.48	1.61
(iv) कुल आस्तियों की तुलना में निवल एनपीए		0.88	0.97

स्रोत : एनडी-एसआई की मासिक विवरणियां (₹1 बिलियन और अधिक)।

सारणी VI.40: एनबीएफसी-एनडी-एसआई का पूंजी पर्याप्तता अनुपात- एनबीएफसी के प्रकार के अनुसार

(कंपनियों की संख्या)

सीआरएआर दायरा	एएफसी	आईएफसी	आईसी	एलसी	कुल
1	2	3	4	5	6
15 प्रतिशत से कम	0	0	21	15	36
15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक	5	1	8	20	34
20 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक	2	2	5	14	23
25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक	3	0	6	4	13
30 प्रतिशत से अधिक	8	1	171	79	259
कुल	**18**	**4**	**211**	**132**	**365**

टिप्पणी: एएफसी : आस्ति वित्त कंपनियां; आईएफसी : इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियां; आईसी :निवेश कंपनियां; एलसी : कर्ज कंपनियां ।
स्रोत : एनबीएफसी-एनडी-एसआई की त्रैमासिक विवरणियां ।

6.43 31 मार्च 2012 को रिपोर्ट करने वाली अधिकांश कंपनियों ने 15 प्रतिशत सीआरएआर के निर्धारित न्यूनतम मानदंड को बनाये रखा। रिपोर्ट करने वाली केवल 10 प्रतिशत कंपनियों का सीआरएआर 15 प्रतिशत से कम है (सारणी VI.40)। ये कंपनियां भी अपने मीयादी कर्ज, कार्यशील पूंजी कर्ज और डिबेंचरों / वाणिज्यिक पत्रों के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों पर बहुत अधिक निर्भर रहीं। मीयादी कर्ज और कार्यशील पूंजी कर्ज को जुटाने के लिए निजी क्षेत्र के नये बैंक इन कंपनियों के लिए दूसरे प्रमुख बैंक समूह के रूप में उभरे हैं (सारणी VI.41)।

4. प्राथमिक व्यापारी

6.44 30 जून 2012 को वित्तीय बाजार में 21 प्राथमिक व्यापारी कार्य कर रहे थे। इनमें से 13 बैंकों द्वारा विभाग के रूप में चलाये जा रहे प्राथमिक व्यापारी थे, जिन्हें बैंक - प्राथमिक व्यापारी कहा जाता है, और शेष 8 बैंक से इतर संस्थाएं थीं, जिन्हें स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारी कहा जाता है। ये भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45आईए के अंतर्गत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत हैं।

सारणी VI.41: एनबीएफसी -एनडी- एसआई क्षेत्र का बैंक एक्सपोजर

(मार्च 2012 के अंत में)

(राशि ₹ बिलियन में)

बैंक समूह	मीयादी ऋण	कार्यशील पूंजी कर्ज	डिबेंचर	वाणिज्यिक पत्र	अन्य	जोड़
1	2	3	4	5	6	7
अ. राष्ट्रीयकृत बैंक	959	282	81	18	73	1,412
आ. स्टेट बैंक समूह	102	97	21	0.3	27	247
इ. निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	38	27	10	2	2	79
ई. निजी क्षेत्र के नए बैंक	140	53	53	11	11	268
उ. विदेशी बैंक	72	34	9	3	5	123
सभी बैंक	**1,310**	**492**	**175**	**35**	**117**	**2,130**

स्रोत: एनडी-एसआई की मासिक विवरणी।

प्राथमिक व्यापारियों का परिचालन और कार्य-निष्पादन

6.45 2011-12 के दौरान भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों और खजाना बिलों दोनों में प्राथमिक व्यापारियों का बिड टु कवर अनुपात पिछले वर्ष की तुलना में मामूली रूप से कम रहा। प्राथमिक व्यापारियों को खजाना बिल और नकदी प्रबंधन बिल दोनों को मिलाकर कुल 40 प्रतिशत का न्यूनतम सफलता अनुपात (बोली प्रतिबद्धता की तुलना में स्वीकृत बोलियां) प्राप्त करना होता है जिसकी सामान्य तौर पर अर्ध वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है। सभी प्राथमिक व्यापारियों ने 2011-12 की पहली और दूसरी दोनों छमाहियों में न्यूनतम सफलता अनुपात प्राप्त कर लिया। परंतु, वर्ष के दौरान खजाना बिल नीलामियों के सफलता अनुपात में मामूली रूप से कमी आई।

6.46 2011-12 के दौरान दिनांकित सभी सरकारी प्रतिभूतियों के लिए संपूर्ण हामीदारी प्राप्त हुई। दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामियों में प्राथमिक व्यापारियों (जारी प्रतिभूतियों की तुलना में स्वीकृत बोलियां) के हिस्से में मामूली रूप से कमी आई (सारणी VI.42)। 14 अवसरों पर प्राथमिक व्यापारियों पर आंशिक डिवाल्वमेंट हुआ।

स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों का कार्य-निष्पादन

6.47 द्वितीयक बाजार में, प्राथमिक व्यापारियों ने 2011-12 के दौरान दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में 5 गुने और खजाना बिलों में 10 गुने का अलग-अलग न्यूनतम वार्षिक कुल टर्नओवर अनुपात[2] (तत्काल और रिपो लेन-देन) प्राप्त किया। प्राथमिक व्यापारियों ने दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में 3 गुने और खजाना बिलों में 6 गुने न्यूनतम वार्षिक एकमुश्त टर्नओवर अनुपात भी प्राप्त किया (सारणी VI.43)।

सारणी VI.42 : प्राथमिक बाजार में प्राथमिक व्यापारियों का कार्य-निष्पादन

(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	2011	2012
1	2	3
खजाना बिल तथा नकदी प्रबंध बिल		
बोली प्रतिबद्धता	3,808	7,296
वास्तव में प्रस्तुत बोलियां	7,260	13,505
बिड टु कवर अनुपात	2.3	2.2
स्वीकृत बोलियां	2,353	4,271
सफलता अनुपात (प्रतिशत में)	61.8	58.6
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां		
अधिसूचित राशि	4,370	5,100
वास्तव में प्रस्तुत बोलियां	6,239	6,932
बिड टु कवर अनुपात	1.4	1.3
प्राथमिक व्यापारियों की स्वीकृत बोलियां	2,165	2,432
प्राथमिक व्यापारियों का हिस्सा (प्रतिशत में)	49.6	47.7

स्रोत : प्रतिशत घटबढ़ में थोड़ा अंतर हो सकता है क्योंकि पूर्ण संख्याओं को ₹ बिलियन में पूर्णांकित किया गया है।

सारणी VI.43: द्वितीयक बाजार में स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों का कार्य-निष्पादन

(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	2011	2012
1	2	3
एकमुश्त		
स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों का टर्नओवर	10,900	18,381
बाजार सहभागियों का टर्नओवर	57,419	69,764
प्राथमिक व्यापारियों का हिस्सा (प्रतिशत में)	19.0	26.3
रिपो		
स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों का टर्नओवर	11,460	15,245
बाजार सहभागियों का टर्नओवर	81,986	75,278
प्राथमिक व्यापारियों का हिस्सा (प्रतिशत में)	14.0	20.3
कुल		
स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों का टर्नओवर	22,359	33,625
बाजार सहभागियों का टर्नओवर	1,39,405	1,45,042
प्राथमिक व्यापारियों का हिस्सा (प्रतिशत में)	16.0	23.2

टिप्पणी: 1. प्रतिशत घटबढ़ में थोड़ा अंतर हो सकता है क्योंकि पूर्ण संख्याओं को ₹ बिलियन में पूर्णांकित किया गया है।
2. पूर्णांकन के कारण हो सकता है कि घटकों का जोड़ कुल से मेल न खाए।
स्रोत: भारतीय समाशोधन निगम लि. ।

स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों की निधियों के स्रोत और उनका प्रयोग

कंपनी बांड बाजार में प्राथमिक व्यापारियों के निवेश में कमी आई है

6.48 प्राथमिक व्यापारियों की निवल स्वाधिकृत निधियों में मामूली रूप से वृद्धि हुई है। प्राथमिक व्यापारियों के रिज़र्व और अधिशेष में काफी अधिक वृद्धि हुई। 2011-12 के दौरान प्राथमिक व्यापारियों के जमानती और गैर-जमानती ऋणों में भी काफी अधिक बढ़ोतरी हुई। वर्ष के दौरान कंपनी बांडों के निवेश में मामूली रूप से गिरावट आई (सारणी VI.44)।

स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

खर्चों में तीव्र वृद्धि होने से लाभ में कमी आई

6.49 2011-12 के दौरान प्राथमिक व्यापारियों के निवल लाभ में मामूली रूप से कमी आई। प्राथमिक व्यापारियों की कुल आय में काफी अधिक वृद्धि हुई। लेकिन, प्राथमिक व्यापारियों के अपने ब्याज व्यय में तीव्र वृद्धि हुई जो मुख्य रूप से उधारों की बढ़ी हुई

[2] द्वितीयक बाजार में वर्ष के दौरान टर्नओवर अनुपात की गणना औसत मासांत स्टॉक की तुलना में कुल क्रय और बिक्री के अनुपात के रूप में की गई है।

सारणी VI.44: स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों की निधियों के स्रोत और उपयोग

(राशि ₹ मिलियन में)

मद	मार्च के अंत में			प्रतिशत घट-बढ़	
	2010	2011$	2012	2011	2012
1	2	3	4	5	6
निधियों के स्रोत	**1,03,080**	**130,320**	**2,03,810**	**26.4**	**56.4**
1 पूंजी	15,410	15,210	15,080	-1.3	-0.8
2 रिजर्व और अधिशेष	19,250	18,890	20,490	-1.9	8.4
3 ऋण (क+ख)	68,420	96,220	168,240	40.7	74.9
क) जमानती	25,220	63,520	113,970	151.9	79.4
ख) बेजमानती	43,200	32,700	54,260	-24.3	66.0
निधियों का उपयोग	**1,03,080**	**1,30,320**	**2,03,810**	**26.4**	**56.4**
1 अचल आस्तियां	140	380	370	171.4	-2.6
2 निवेश (क+ख+ ग)	72,800	98,520	1,45,080	35.3	47.3
क) सरकारी प्रतिभूतियां	62,518	86,430	1,33,320	38.1	54.2
ख) वाणिज्यिक पत्र	1,420	100	250	-92.9	149.4
ग) कंपनी बांड	8,800	11,990	11,510	36.2	-4.0
3 कर्ज और अग्रिम	7,410	4,260	19,380	-42.5	354.9
4 गैर चालू आस्तियां	0	0	2,970	-	-
5 ईक्विटी, म्यूच्युअल फंड आदि	680	250	160	-63.2	-36.0
6 अन्य*	22,050	26,910	35,850	22.0	33.2

*: अन्य में नकदी + जमा प्रमाण-पत्र + बैंक शेष + उपचित ब्याज + आस्थिगत कर अस्तियां - चालू देयताएं और प्रावधान शामिल हैं।
$: मोर्गन स्टैनली डयूश सिक्यूरिटीज और आईडीबीआई गिल्टस् को छोड़कर ।
टिप्पणी: 1.पूर्णांकन के कारण प्रतिशत घटबढ़ में थोड़ा अंतर हो सकता है।
2.पूर्णांकन के कारण हो सकता है कि घटकों का जोड़ कुल से मेल न खाए।
स्रोत: प्राथमिक व्यापारियों की वार्षिक रिपोर्ट ।

लागत के कारण थी (सारणी VI.45)। परिणाम के रूप में, वर्ष के दौरान लागत - आय अनुपात (अर्थात निवल कुल आय की

सारणी VI.45: स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों का वित्तीय कार्य-निष्पादन @

(राशि ₹ मिलियन में)

मद	2010-11	2011-12	घट-बढ़	
			राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
क. आय (i से iii)	**10,790**	**15,470**	**4,680**	**43.4**
i) ब्याज और बट्टा	9,700	13,820	4,120	42.5
ii) कारोबारी लाभ	580	640	60	10.3
iii) अन्य आय	510	1,010	500	98.0
ख. व्यय (i + ii)	**8,070**	**13,070**	**4,560**	**62.0**
i) ब्याज	6,530	11,180	4,650	71.2
ii) स्थापना तथा प्रशासनिक लागत सहित अन्य व्यय	1,540	1,890	350	22.7
कर पूर्व लाभ	2,720	2,400	-320	-11.8
करोत्तर लाभ	1,780	1,540	-240	-13.5

टिप्पणियां: 1. प्रतिशत घटबढ़ में थोड़ा अंतर हो सकता है क्योंकि पूर्ण संख्याओं को ₹ बिलियन में पूर्णांकित किया गया है।
2. पूर्णांकन के कारण हो सकता है कि घटकों का जोड़ कुल से मेल न खाए।
स्रोत: प्राथमिक व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत विवरणियां ।

सारणी VI.46: स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों के वित्तीय संकेतक

(राशि ₹ मिलियन में)

संकेतक	2010-11	2011-12
1	2	3
i) निवल लाभ	1,780	1,540
ii) औसत आस्तियां	1,66,970	1,97,460
iii) औसत आस्तियों पर प्रतिफल (प्रतिशत में)	1.1	0.8
iv) निवल मालियत पर प्रतिफल (प्रतिशत में)	5.1	4.4

तुलना में परिचालन व्यय) में बढ़ोतरी हुई। मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के दौरान निवल मालियत पर प्रतिफल और औसत आस्तियों पर प्रतिफल में मामूली रूप से कमी आई (सारणी VI.46)। वर्ष

सारणी VI.47: स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों का सीआरएआर

(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	मार्च के अंत में	
	2011	2012
1	2	3
1. कुल निवल पूंजीगत निधियां	36,260	39,290
2. कुल जोखिम भारित आस्तियां	78,580	72,980
क) क्रेडिट जोखिम	33,500	37,420
ख) बाजार जोखिम	45,080	35,560
3. सीआरएआर(प्रतिशत में)	**46.2**	**53.8**

के दौरान प्राथमिक व्यापारियों का सीआरएआर 46.2 प्रतिशत से बढ़कर 53.8 प्रतिशत हो गया जबकि इसकी न्यूनतम निर्धारित अपेक्षा 15 प्रतिशत की है (सारणी VI.47)।

5.समग्र मूल्यांकन

6.50 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र में संख्या की दृष्टि से समेकन की प्रक्रिया के चिह्न दिख रहे हैं। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के तुलन-पत्र में काफी अधिक विस्तार हुआ है और इसी प्रकार का विस्तार वित्तीय संस्थाओं और प्राथमिक व्यापारियों के संबंध में भी देखा गया है। जमाराशियां लेने वाले गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी खंड के वित्तीय कार्य-निष्पादन में सुधार दिखा है जैसाकि उनके परिचालन लाभों की वृद्धि में परिलक्षित होता है, यह लाभ मुख्य रूप से निधि आधारित आय के कारण हुआ है।जमाराशियां न लेने वाले प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी खंड के कार्य-निष्पादन में मामूली रूप से गिरावट आई है यद्यपि इस क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के उधारों में निधियों के सबसे बड़े स्रोत मुख्यतः बैंक और वित्तीय संस्थाएं रहीं। इस प्रकार, वित्तीयन के लिए बैंकों पर भारी निर्भरता की नजदीकी से निगरानी करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, हाल में बैंकों से संसाधन जुटाने से संबंधित विनियामक उपायों में की गई कड़ाई से उम्मीद है कि बैंकिंग क्षेत्र पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र की निर्भरता कम होगी और वे वैकल्पिक स्रोतों से निधियां जुटाने का प्रयास करेंगी।

6.51 अनर्जक आस्तियों की दृष्टि से, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कुल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियों में काफी अधिक वृद्धि हुई। इसी प्रकार, वित्तीय संस्थाओं की अनर्जक आस्तियों में वृद्धि हुई है। एक खंड के रूप में गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं पूंजी पर्याप्तता की दृष्टि से अच्छी स्थिति में बनी हुई हैं क्योंकि इनका सीआरएआर न्यूनतम विनियामक अपेक्षा से अधिक है। जहां तक प्राथमिक व्यापारियों की बात है, उनकी ब्याज आय में वृद्धि हुई, लेकिन उधारों की लागत बढ़ने से व्यय में तीव्र गति से बढ़ोतरी हुई जिससे लाभ में कमी आई और आस्तियों पर प्रतिफल में गिरावट आई।